

प्राक्कथन

राज्य सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन तथा शासकीय लेन-देनों के लेखांकन के सम्बन्ध में कोषालय अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोषालय अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर सकें, इस हेतु शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा इन नियमों तथा प्रक्रियाओं से विचलन के कारण वित्तीय प्रबन्धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड-1 के पैरा 20.17 के अनुसार कोषालयों एवं उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 तैयार किया गया है। यह वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित तीन भागों में है:-

भाग-एक:- कोषालयों की संरचना/संगठन तथा कार्यप्रणाली एवं प्रबन्धन में सुधार हेतु किये गये प्रयास।

भाग-दो:- कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ /त्रुटियाँ तथा अन्य अनियमितताएँ।

भाग-तीन:- कोषालयों एवं उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ/कमियाँ।

राज्य सरकार द्वारा सभी कोषालय कम्प्यूटरीकृत किये गये हैं। वर्ष 2011-12 से कोषालयों में केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (C-SFMS) लागू है। कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण से उनकी दक्षता में सुधार हुआ है।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन का उद्देश्य कोषालयों की कार्य प्रणाली में सुधार कर राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन कोषालयों के परिचालन में होने वाली अनियमितताओं तथा कमियों को दूर करने में सहायक होगा।

प्रतिवेदन को और अधिक उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित हैं।

(रविन्द्र पत्तार)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मुख्य अंश

मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2018-19 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2018-19 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

1. कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब किया जाना ।

(कंडिका 2.1)

2. वर्ष 2018-19 के अंत तक अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही0डी0एम0एस0

(कंडिका 2.22)

3. व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना ।

(कंडिका 2.24)

4. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा परिवार पेंशन प्रकरणों में निर्धारित अवधि के पश्चात भी उच्च दर पर भुगतान किया जाना ।

(कंडिका 3.3.2-ii)

5. सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना ।

(कंडिका 3.4)

6. तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना ।

(कंडिका 3.6.1)

7. तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी पी.डी./ई.डी. खातों की राशि, नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित नहीं किया जाना ।

(कंडिका 3.6.3)

8. मुद्रांको का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण ।

(कंडिका 3.8.1)

9. कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।

(कंडिका 3.9.3)

भाग-एक

प्रस्तावना, संरचना / संगठन तथा कोषालयों
की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन में गुणात्मक सुधार
हेतु की गई पहल


कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

भाग-1

1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय एवं उप कोषालय, क्रमशः कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उपकोषालयों के मासिक लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

1.2 संरचना/संगठन



मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2018-19 में कुल 56 कोषालय एवं 156 उपकोषालय कार्यरत रहे। सभी कोषालय/उप कोषालय, बैंकिंग कोषालय/उपकोषालय के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2018-19 में 33 कोषालयों एवं 66 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। (परिशिष्ट संख्या 1)

कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	लेखा कार्य		कम्प्यूटर कार्य	
			प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2018-19	1366	893	302	591	671	222

1.3 कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार

मुख्यालय कार्यालय (नई दिल्ली) के निर्देशानुसार कोषालय निरीक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों को जोखिम आधारित नमूना निरीक्षण (Risk based sample inspection) के आधार पर विभाजित किया गया। विभाजन का आधार निम्नानुसार है :-

1. कोषालय का वार्षिक लेन-देन,
2. मासिक लेखा विलम्ब से प्राप्त होना,
3. निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होना,
4. निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकायें,
5. पूर्व में प्रकाशित प्रारूप कंडिकाओं में कोषालयों का शामिल होना,
6. कोषालय के सुरक्षा में लापरवाही के कारण, चोरी की वारदात से शासन को हानि,

उक्त माप दण्डों जिसमें विशेषकर कोषालयों के वार्षिक लेन देन के आधार पर कोषालयों को **परिशिष्ट संख्या-2** के अनुसार उच्च जोखिम (High Risk), मध्यम जोखिम (Medium Risk) तथा कम जोखिम (Low Risk) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

भाग-दो

लेखे के संकलन एवं सत्यापन के दौरान

पाई गई कमियाँ / विसंगतियाँ

भाग-2

लेखे के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ / विसंगतियाँ

2.1 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में महालेखाकार कार्यालय को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं।

मासिक लेखे की प्रथम सूची, जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की सत्रह तारीख तक तथा लेखे की द्वितीय सूची, जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की आठ तारीख तक प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि को अवकाश होने की स्थिति में, लेखा अगले कार्यदिवस में प्राप्त हो जाना चाहिये।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त कुल 672 लेखों में से 101 लेखे विलम्ब से (01 से 10 दिवस) प्राप्त हुये कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 01 से 10 दिनों का विलम्ब किया गया है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट संख्या-3** में दर्शाया गया है।

2.2 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के प्रथम प्रमाणक जांच कर क्रमानुसार व्यवस्थित करके टी. सी. अनुभागों को भेजे जाते हैं। प्रायः एक मुख्य शीर्ष के प्रमाणक दूसरे मुख्य शीर्ष के प्रमाणकों के साथ बण्डल में संलग्न होते हैं। इससे संकलन अनुभागों को संकलन कार्य में अनावश्यक कठिनाई होती है।

2.3 प्रायः कोषालयों द्वारा सुधार हेतु मांग पत्र (Requisition of correction) निर्धारित प्रपत्र में भरकर नहीं भेजा जाता है। इसके साथ ही आवश्यक अभिलेख जैसे चालान की प्रति संबंधित शेड्यूल नहीं भेजे जाते हैं। इसके अलावा जिस शीर्ष से राशि हस्तान्तरित की जानी है, उसमें उस माह कितनी राशि दर्ज की गयी है, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है तथा कोषालयों द्वारा सही शीर्ष का पूर्ण वर्गीकरण (जिसमें राशि हस्तान्तरित की जानी है) का उल्लेख भी नहीं किया जाता है।

2.4 प्रायः कोषालयों द्वारा चेक लिस्ट के साथ सभी चेक संलग्न करके नहीं भेजे जाते हैं तथा कई बार चेक लिस्ट में दर्शायी गयी चेक संख्या तथा संलग्न चेक में भी भिन्नता पायी जाती है। इस संबंध में भोपाल शाखा द्वारा कई बार संबंधित कोषालयों को लिखा जा चुका है।

2.5 कोषालयों के द्वारा प्रायः सिविल डिपॉजिट मुख्य शीर्ष 8443-103,106,123 तथा 800 से संबंधित (+/-) में मासिक लेखे के साथ नहीं भेजे जाते हैं। इस कारण उसके समायोजन में अनावश्यक विलम्ब होता है। प्रायः (+/-) में मासिक लेखे का योग एवं राज्यीय अदायगीय सूची में अंकित राशि में अन्तर पाया जाता है एवं कुछ कोषालयों द्वारा (+/-) में मेमों हस्तलिखित प्रति में भेजे जा रहे हैं जिससे संकलन कार्य में परेशानी होती है।

2.6 प्रायः कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ आर.बी.डी. पत्रक की राशि तथा रोकड़ लेखे में दर्शायी गयी राशि का मिलान करके नहीं भेजा जाता है। राशि के अन्तर की जानकारी पत्र /दूरभाष द्वारा देने पर संशोधित आर.बी.डी. पत्रक कोषालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कुछ कोषालयों द्वारा कभी-कभी संवरण सार में आर.बी.डी. शेष ऋणात्मक दर्शाया जाता है जबकि आर.बी.डी.शेष ऋणात्मक नहीं होता है।

2.7 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ भेजी जाने वाली टेक्स्ट फाईल की सी.डी. जांच करके नहीं भेजी जा रही है। इस कारण सी.डी. में भेजी गयी सभी टेक्स्ट फाईल नहीं खुल पाती है और कभी-कभी कोषालयों द्वारा एक ही फाईल दो-दो बार सम्मिलित कर भेजी जाती है।

2.8 प्रायः कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखे का प्रिन्ट साफ नहीं होता है, इस कारण अंकों को पढ़ने में कठिनाई होती है तथा कम्प्युटर पर एलओपी/कैश एकाउन्ट की पोस्टिंग में अनावश्यक विलम्ब होता है। यह कमी प्रायः अधिकतर कोषालयों में पाई जाती है।

2.9 प्रायः कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ प्राप्ति शीर्ष में दर्ज राशियों के समर्थन में चालान नहीं भेजे जाते हैं, मात्र कवरिंग लिस्ट भेजी जाती है। इस कारण संकलन अनुभागों को संकलन कार्य में कठिनाईयां आती है।

2.10 कोषालयों द्वारा भेजे गये मासिक लेखे के साथ एलओपी तथा एसओपी की राशि में अन्तर पाया जाता है। यह त्रुटि अधिकतर मुख्य शीर्ष 2030 तथा 2071 में पाई जाती है। कोषालय से प्राप्त प्रथम सूची (एसओपी) व द्वितीय सूची की (एसओपी) में एक ही नंबर के प्रमाण होने से संकलन कार्य में कठिनाईयां आती है।

2.11 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ मुख्य शीर्ष 8009 से संबंधित सभी चालान/शिडयूल नहीं भेजे जाते हैं, जिसके कारण निधि अनुभागों में पोस्टिंग कार्यों में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। यह त्रुटि अधिकतर कोषालयों में पाई जाती है।

- 2.12** कभी-कभी कोषालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार से संबंधित लेखा शीर्षों में राशियां दर्ज करके मासिक लेखा भेजा जाता है, इस कारण उनके समायोजन में अनावश्यक विलम्ब होता है।
- 2.13** नियमानुसार सितम्बर तथा मार्च माह के लेखे कलेक्टर के हस्ताक्षर से भेजे जाने चाहिए, परन्तु अधिकतर कोषालयों द्वारा मार्च माह के त्रैमासिक लेखे कलेक्टर के हस्ताक्षर से नहीं भेजे गये हैं। उन्हें हस्ताक्षर कराकर पुनः प्रदाय कराने हेतु कहा गया जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब हुआ।
- 2.14** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में मुख्य शीर्ष 8443 –108, 8443–120 में राशि दर्ज करके भेजी जाती है, जबकि उक्त राशि का सही वर्गीकरण कर भेजना चाहिए।
- 2.15** मार्च माह से संबंधित मुख्य शीर्ष 8670–104 लैप्स चेकों का विवरण कोषालयों द्वारा प्रायः अप्रैल माह के मासिक लेखों के साथ भेजा जाता है इस कारण उनका समायोजन संबंधित वित्त वर्ष में नहीं हो पाता है। उसके समायोजन के लिए जर्नल इन्ट्री (जेई) लगानी पड़ती है। मार्च माह के लेखों के साथ 8670–104 के लैप्स चेकों का विवरण भेजा जाना चाहिए।
- 2.16** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ इलैक्ट्रॉनिक डाटा (Text File) प्रायः अपूर्ण भेजा जाता है। जिसके कारण व्ही.एल.सी. सिस्टम में डाटा दर्ज नहीं हो पाता है।
- 2.17** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ इलैक्ट्रॉनिक डाटा (Text File) को एक निर्धारित Format में नहीं भेजा जाता है। गलत Format में डाटा प्राप्त होने पर वह व्ही.एल.सी. सिस्टम में डाटा दर्ज नहीं हो पाता है।
- 2.18** सहायक अनुदान (GIA) के प्रमाणकों को व्ही.एल.सी. सिस्टम में दर्ज करने के लिये अलग-अलग व्हाउचर कोड (सशर्त सहायक अनुदान हेतु-104 एवं शर्त रहित सहायक अनुदान हेतु-160) का प्रावधान है। किन्तु कोषालयों द्वारा उक्त दोनों प्रकार के प्रमाणकों को एक ही कोड में दर्ज किया जाता है। जिसके कारण कोषालयों द्वारा भेजे गये इलैक्ट्रॉनिक डाटा (Text File) को व्ही.एल.सी. सिस्टम में दर्ज करने पर उक्त प्रमाणकों से संबंधित डाटा एक ही कोड में दर्ज हो जाता है।

2.19 बैंक स्कूलः- कोषालयों से प्राप्त पेंशन भुगतानों के बैंक स्कूल कुछ कोषालयों से प्राप्त हो रहे हैं किन्तु कुछ कोषालयों के बैंक स्कूल समान रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिससे बार-बार संबंधित कोषालयों में संपर्क कर ई-मेल के माध्यम से डाटा मंगाना पड़ता है जिससे कार्य में विलम्ब होता है तथापि कुछ कोषालय बैंक स्कूल प्रेषित नहीं कर रहे हैं ।

2.20 शेड्यूल आफ पोस्टिंग के अनुसार संलग्न व्हाउचर्स न पाया जानाः- कोषालय से प्राप्त शेड्यूल आफ पोस्टिंग के अनुसार ही पेंशन के व्हाउचर्स संलग्न होने चाहिए किन्तु कभी कभी शेड्यूल आफ पोस्टिंग के अनुसार पेंशन भुगतान के व्हाउचर्स प्राप्त नहीं होते हैं । इससे लेखे में अंतर उत्पन्न हो जाता है ऐसी अवस्था में संबंधित कोषालयों से संपर्क करने पर ज्ञात होता है कि कोषालय द्वारा शेड्यूल आफ पोस्टिंग को संशोधित कर दिया है किन्तु उसे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया है । इसके बाद ई-मेल के माध्यम से संबंधित कोषालय से संशोधित शेड्यूल आफ पोस्टिंग की प्रति मंगायी जाती है । इस प्रक्रिया में मैन पावर के साथ साथ महत्वपूर्ण समय का भी व्यय होता है ।

2.21 पेंशन राशि का एकीकृत म0प्र0, म0प्र0 एवं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभाजन न होनाः- विभिन्न पेंशन जैसे प्रत्याशित पेंशन, परिवार पेंशन, उपादान आदि के भुगतान की राशि का एकीकृत म0प्र0, म0प्र0 एवं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभाजन करते हुए समान रूप से व्हाउचर्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिससे प्रत्येक राज्य के पेंशन दायित्वों के सही-सही आकलन में परेशानी उत्पन्न हो रही है ।

2.22 वर्ष 2018-19 के अन्त तक अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस.

नियमानुसार सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रक (व्ही.डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर, दो प्रतियाँ कार्यालय प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक, प्रेषित किया जाना चाहिये ।

ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2018-19 तक अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार व्यय पत्रकों (व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट -4(i) से 4(ix) में दर्शाया गया है ।

2.23 कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी. राशि तथा आर.बी.डी. पत्रक में दर्शित राशि में अंतर ।

नियमानुसार कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि के अनुसार ही आर.बी.डी. पत्रक संलग्न कर मासिक लेखे के साथ भेजे जाने चाहिए। दोनों के मध्य यदि कोई अन्तर हो तो, अन्तर का निराकरण कर लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

समीक्षा वर्ष 2018-19 में **परिशिष्ट संख्या-5 (अ) एवं 5 (ब)** में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न कोषालयों द्वारा प्रस्तुत लेखे में दर्शाई गई आर.बी.डी. राशि तथा संबंधित आर.बी.डी. पत्रक अनुसार राशि में अंतर पाया गया ।

2.24 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

नियमानुसार कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा शेष राशि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिये। प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से अंकमिलान कर सुधार किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2018-19 में **परिशिष्ट संख्या-6** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 51 कोषालयों में संधारित कुल 234 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में राशि रु. 140.04 करोड़ का ऋणात्मक शेष परिलक्षित हुआ है । जिनके निराकरण हेतु कोषालयों द्वारा अंकमिलान नहीं किया गया है।

2.25 कोषालयों द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों के मासिक धन ऋण पत्रक प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 558 के अनुसार, प्रत्येक कोषालय द्वारा मासिक निक्षेप पत्रकों के साथ प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 69 में एक धन ऋण ज्ञापन महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2018-19 के लेखा संकलन के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-7** में दर्शाये गये विवरण के अनुसार कोषालयों द्वारा विभिन्न माहों के धन ऋण पत्रक मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं किये गये।

2.26 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के अवशेषों का अंकमिलान न किया जाना

नियमानुसार कोषालय में संधारित प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेप खाताधारक के खाते में शेष राशि का मिलान कार्यालय महालेखाकार के अभिलेख से प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये तथा अंतर यदि कोई हो, का अविलम्ब निराकरण किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2018-19 के लेखांकन के दौरान मध्य प्रदेश के 56 कोषालयों में से केवल 26 कोषालयों द्वारा दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में व्यक्तिगत निक्षेप खातों के शेषों का अंकमिलान किया गया है । शेष 30 कोषालयों द्वारा अंकमिलान नहीं किया गया है । जिसका विवरण **परिशिष्ट संख्या – 8** में दर्शाया गया है ।

भाग–तीन
वर्ष 2018–19 में कोषालयों एवं उपकोषालयों के
निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य
अनियमिततायें

भाग-3

वर्ष 2018-19 में कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2018-19 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है, जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान **परिशिष्ट संख्या-1** में दर्शाये गये 33 कोषालयों एवं 66 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया।

3.2 वर्ष 2018-19 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2017 को प्रारंभिक शेष	164	420
वर्ष के दौरान वृद्धि	28	116
योग	192	536
वर्ष के दौरान निराकरण	34	135
दिनांक 31.3.2019 को अंतशेष	158	401

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सचिव वित्त विभाग, आयुक्त, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के उपरांत समीक्षा वर्ष 2018-19 में 34 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं 135 कंडिकाओं का निराकरण किया गया। दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 158 निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 401 कंडिकायें लंबित है।

3.2.1 कोषालय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलम्ब से प्राप्त होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 43 एवं 44 के अनुसार प्रधान महालेखाकार कार्यालय के कोषालय निरीक्षण दल द्वारा कोषालय के निरीक्षण के पश्चात पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में जारी कर उसका प्रथम पालन प्रतिवेदन जारी

होने के दिनांक से पांच सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजने हेतु लेख किया जाता है । संचालनालय तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की निगरानी रखी जानी चाहिए ।

समस्त कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां आयुक्त कोष एवं लेखा, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित कोषालयों को पांच सप्ताह में पालन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु पालनार्थ भेजे जाते हैं, परंतु समीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि, **परिशिष्ट संख्या 9** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 33 कोषालयों में से 24 कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुये तथा 09 कोषालयों के पालन प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त हुये ।

3.2.2 कोषालयों/उपकोषालयों का विभागीय निरीक्षण निर्धारित अवधि में न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-एक के सहायक नियम 38 एवं 39 के अनुसार कोषालयों /उपकोषालयों का विभागीय निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्न अवधि अनुसार किया जाना चाहिये ।

स.क्र	निरीक्षण अधिकारी का पदनाम	निर्धारित अवधि	
		कोषालय	उपकोषालय
1	आयुक्त/संचालक कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल	3 वर्ष में एक बार	6 वर्ष में एक बार
2	संभागीय आयुक्त (राजस्व)	वर्ष में एक बार	उपखण्ड के निरीक्षण के समय
3	क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन	वर्ष में एक बार	वर्ष में एक बार
4	जिला कलेक्टर	वर्ष में दो बार	वर्ष में एक बार
5	नामित उपजिलाध्यक्ष	प्रतिमाह	—
6	कोषालय अधिकारी	—	वर्ष में दो बार
7	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	—	वर्ष में दो बार

सभी कोषालयों/उपकोषालयों में उक्त प्रक्रिया का केवल आंशिक पालन किया गया जबकि सभी निरीक्षण निर्धारित अवधियों पर पूर्ण किये जाने चाहिए ।

3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

3.3.1 (i) तीन वर्ष से अधिक समय से अनाहरित पेंशन प्रकरण

पेंशनर/परिवार पेंशनर जिन्होंने विगत तीन वर्षों से अधिक समय से अपनी पेंशन/परिवार पेंशन आहरित नहीं की है, ऐसे प्रकरणों में कोषालय द्वारा पेंशनर/परिवार पेंशनर के जीवित होने की जांच कराई जानी चाहिए तथा अनाहरित पेंशन राशि का निराकरण कर लिया जाना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-10** में दिये गये विवरण अनुसार नरसिंहपुर कोषालय में कुल 05 पेंशन भुगतान आदेश तीन वर्ष से अधिक समय से आहरण हेतु लंबित है।

3.3.1 (ii) एक वर्ष से अधिक समय से अनाहरित पेंशन उपदान प्रकरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 387 के अनुसार उपदान भुगतान आदेश एक वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे, तत्पश्चात् उक्त भुगतान आदेशों को संवितरण कार्यालय में रोकी नहीं जायेगी। भुगतान आदेशों का पुनर्वैधीकरण कराया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि, **परिशिष्ट संख्या-11** में दर्शाये गये 03 कोषालयों में 14 पेंशन उपदान आदेश एक वर्ष से अधिक समय से अनाहरित है।

3.3.2 (i) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.05 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र०एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25.9.06 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2008/नियम/चार दिनांक 01.10.2009 में दिये गये निर्देश अनुसार राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत दिनांक 1.1.05 तथा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के वेतन बिल से प्रतिमाह अंशदान की राशि की कटौती की जावेगी तथा उसके समतुल्य राशि राज्य शासन की तरफ से निर्धारित शीर्षों में जमा की जावेगी।

वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-12** में दर्शाये गये 02 कोषालयों में कर्मचारियों के वेतन बिल से कटौती द्वारा प्राप्त अंशदान (पेंशन योजना) राशि

रु.1124484472.00 के विरुद्ध शासन के समतुल्य राशि रु. 738583047.00 जमा की गई है तथा रु. 375049802.00 जमा किया जाना लंबित पाया गया ।

3.3.2 (ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा परिवार पेंशन प्रकरणों में निर्धारित अवधि के पश्चात भी उच्च दर पर भुगतान किया जाना

मध्य प्रदेश पेंशन नियम 47 के प्रावधान अनुसार, परिवार पेंशन की राशि पेंशनर की मृत्यु पश्चात 7 वर्ष तक अथवा उसकी 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक बढ़ी दर से प्रदाय की जाती है । तदोपरान्त परिवार पेंशन सामान्य दर से भुगतान की जानी चाहिए ।

संचालनालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, कोषालय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से भुगतान किये जा रहे पेंशन प्रकरणों की नियमित जांच नहीं की गई जिसके कारण वर्ष 2018-19 में **परिशिष्ट संख्या-13** में वर्णित 11 कोषालयों के अंतर्गत, सार्वजनिक बैंकों द्वारा 17 परिवार पेंशन प्रकरणों में सामान्य दर के बजाय बढ़ी दर से भुगतान किया गया तथा रु. 38.41 लाख का अधिक भुगतान हुआ । पूर्व वर्षों की वसूली हेतु प्रगामी राशि रु. 98.88 लाख लंबित पायी गयी ।

3.3.3 पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन राशि रु. 3025.00/7750.00 का भुगतान न किया जाना

(i) निरीक्षण वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया है कि **परिशिष्ट संख्या-14** में दर्शाये अनुसार दिनांक 1.1.2006 को या उसके पश्चात 12 कोषालयों में 161 सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन राशि रु. 3025/- का भुगतान नहीं किया गया ।

(ii) निरीक्षण वर्ष 2018-19 के दौरान पाया गया है कि **परिशिष्ट संख्या-15** में दर्शाये अनुसार दिनांक 1.1.2016 को या उसके पश्चात 05 कोषालयों में 118 सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन राशि रु. 7750/- का भुगतान नहीं किया गया ।

3.4 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्रों का निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.2005 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा

आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं । इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-16** में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 199 प्राधिकार पत्रों पर राशि रु. 7.61 करोड़ का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में नहीं किया गया तथा पुनर्वैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी ।

3.5 बिल एवं लेखा से संबंधित क्षेत्र

3.5.1 विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-17** में दर्शाये गये चयनित 33 कोषालयों में से 16 कोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

3.5.2 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी.ए. डी./1377/31.4.008/2002-03/02.2.03 एव पत्र क्र.सं.बैं.ले.नि.जी.ए.डी.एच.698/31.4.008/2002-03/17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं । प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व

‘बी’ साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु, निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2018–19 के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या–18** में दर्शाये कोषालय तथा अधीनस्थ उपकोषालयों ने भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया ।

3.5.3 वन तथा निर्माण प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग–एक के सहायक नियम 505 तथा 488 के प्रावधान अनुसार क्रमशः वन तथा निर्माण विभागों के, माह के दौरान प्रेषणों एवं प्राप्तियों के आकड़ों का मिलान संबंधित कोषालयों के अभिलेख से किया जाना चाहिये जिससे माह के दौरान प्रेषण एवं जमा राशि के आकड़ों की पुष्टि की जा सकें। कोषालय द्वारा आंकड़ों के मिलान बावत् नियमानुसार निम्न आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये –

माह के दौरान वन प्रेषणों की प्राप्ति एवं उनके द्वारा जमा की, प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 58 में एक समेकित कोषालय पावती कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालय से लेन देन कर रहे प्रत्येक वन अधिकारी को अगले माह की 5 तारीख तक भेजी जानी चाहिये। जैसे ही कोषालय से समेकित कोषालय पावती प्राप्त होती है, उसकी तुलना रोकड़ पुस्तक में की गई प्रविष्टियों के साथ की जावेगी तथा संभागीय वन अधिकारी को भेजी जावेगी।

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये प्रेषणों की एक समेकित कोषालय पावती प्रत्येक माह के अन्त में कोषालय अधिकारी द्वारा एम.पी.टी.सी. प्रपत्र 56 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार समेकित कोषालय पावती पर अपने अभिलेख से मिलान उपरान्त हस्ताक्षर कर पावती वापस की जानी चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या–19** में दर्शाये गये, 06 कोषालयों द्वारा वन तथा निर्माण प्रेषणों एवं जमा राशियों का मिलान कराने बावत्, आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई ।

3.6 जमा खातों की अभिरक्षा

3.6.1 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये रु. 25.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची पच्चीस रूपये से अनाधिक की जमा राशियाँ, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में व्यपगत किया जावेगा । इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-20** में दिये गये विवरण अनुसार 26 कोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि रु. 78.41 करोड़ को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

3.6.2 व्यक्तिगत जमा लेखे में त्रुटिपूर्ण/गलत संचालन का प्रकरण

(i) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खाता खोलना

(ii) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत जमा खातों का खोलना तथा संचालन किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 533 के नीचे अंकित मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1/2003/नियम/4 दि. 7.6.2003 के अनुसार कोषालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोले जाने के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है। शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर पर कोषालय में पी.डी. खाता खोलने के आदेश देने का अधिकार नहीं है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-21** में दर्शाये गये 06 कोषालयों में आहरण अधिकारियों के एक से अधिक पी.डी. खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना संधारित है। इस प्रकार **परिशिष्ट संख्या-22** में दर्शाये गये 02 कोषालयों में संधारित 29 आहरण अधिकारियों के व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने तथा संचालन बावत् वित्त विभाग के अनुमति उपलब्ध नहीं पाई गई।

3.6.3 तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी पी.डी./ई.डी. खातों की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है, तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे। यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है, तो कोषालय अधिकारी महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात प्रधान महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर, संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या 23** में दर्शाये गये 24 कोषालयों में 252 व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी, खातों में शेष राशि रू. 1.05 अरब को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

3.6.4 व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर, कार्यालय प्रधान महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये, साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये।

समीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-24** में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 880 व्यक्तिगत खातों में से केवल 207 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 581 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे।

3.6.5 राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित न पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 559 के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 64 में संधारित की गई राजस्व निक्षेप प्राप्ति की पंजी में जिलाध्यक्ष

अथवा इस हेतु नामांकित किये गये कोई राजपत्रित अधिकारी (जो कि कोषालय अधिकारी नहीं हो) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसने व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक पंजी की जांच पड़ताल कर ली है तथा यह कि समस्त प्रविष्टियां अत्यंत सावधानी से तथा नियमित रूप से की गई है, अभिलिखित किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-25** में दर्शाये गये 14 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों के राजस्व पंजी की जांच करने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना नहीं पाया गया ।

3.6.6 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं धनऋण पत्रक में अंतर

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा। कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी.75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये शेष के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, तो कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-26** में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयीन/उपकोषालयीन तथा न्यायालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर राशि तथा कोषालय अभिलेख एवं धनऋणपत्रक अनुसार राशियों में अंतर निराकरण किये बिना ही लेखा प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया ।

3.6.7 व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक अनुसार शेष एवं पुस्तक शेष/प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 590 के अनुसार प्रत्येक वैयक्तिक खाता लेखा के प्रशासकों से इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा दावा किया गया व शेष नामित लेखा के है महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये । यदि उनके शेष तथा माह मार्च हेतु धन ऋण ज्ञापन में दर्शाये गये शेष के मध्य कोई भिन्नता हो तो स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-27 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खाताधारकों द्वारा प्रदाय वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्रों अनुसार शेष राशि तथा कोषालय द्वारा प्रधान महालेखाकार को भेजे गये धन ऋण पत्रक में अंकित राशि में अंतर पाया गया।

3.6.8 वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-800 के अंतर्गत किये गये अनाधिकृत लेन देन

मध्य प्रदेश शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 24/चार/ब-1/1/93 दिनांक 07.1.93 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 के अंतर्गत कोई भी लेन देन वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-28** में दर्शाये कोषालयों के अंतर्गत राशि रु. 88.59 लाख (जमा) एवं निरंक (आहरण) का लेन-देन बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के किया गया।

3.6.9 प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 558 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित धन ऋण पत्रक तैयार कर प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, जिसके आधार पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालयवार पी.डी./ई.डी. खाता संधारित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-29** में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों में महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख एवं कोषालय के अभिलेख अनुसार शेषों में अंतर पाया गया।

3.7 कोषालयों में सुरक्षा

3.7.1 (i) दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोषालय में उपलब्ध रखें।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-30** में दर्शाये गये 09 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधित वर्ष 2018-19 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया ।

(ii) कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-31 में दर्शाये गये 09 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्राप्त कर प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया ।

(iii) कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में यथा स्थान पर स्थापित होना चाहिये। परंतु वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-32** में दर्शाये गये कुल 08 कोषालयों एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के सुदृढ़ कक्ष में रखे अग्निशमन यंत्र में द्रव रिफिलिंग न होने से कार्यशील स्थिति में नहीं पाया गया।

(iv) खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 20, 21 एवं 22 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है । कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है । आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक स्था./दो/12/87-98 दि. 24.1.97 द्वारा पुनरीक्षित किये जाने पर भण्डार लिपिक से रू. 3000.00 एवं रोकड़िया से रू. 5000.00 प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-33** में दर्शाये गये 12 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई ।

3.7.2 बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 47(ii) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय अथवा उपकोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये । इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय/उपकोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-34** में दर्शाये गये कुल 28 कोषालयों एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे 8538 मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिये गये ।

3.7.3 कोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अंत में जांच हेतु वापस न लिया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 85 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स जमाकर्ताओं द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जांच हेतु वापस लेना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-35** में दर्शाये गये 25 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के कुल 500 पैकेट्स जमाकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त नियमानुसार माह अप्रैल में जांच करने हेतु वापस नहीं लिये गये, और न ही कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा इस बावत् प्रभावी कार्यवाही की गई ।

3.7.4 दृढ़ कक्ष की दोहरी चाबियों की अभिरक्षा नियमानुसार न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 91 (अ) के अनुसार कोषालय एवं उप कोषालय के दृढ़ कक्ष की मूल एवं दोहरी चाबियों को प्रत्येक दो वर्षों में बदलकर उपयोग में लेना चाहिये। जो चाबी उप कोषालय के उपयोग में आ रही है, उपकोषालय अधिकारी एवं खजांची के सीलबन्द पैकेट में सुरक्षित रखना चाहिये तथा इस प्रकार सीलबन्द किये गये पैकेट्स स्वयं कलेक्टर के द्वारा बैंक की पास की शाखा के प्रबंधक के नाम से बीमायुक्त एवं गोपनीय पार्सल के साथ में पंजीकृत भेजना चाहिये। दो वर्षों में एक बार अप्रैल माह में पैकेट्स

को वापस प्राप्त कर उपयोग में आ रही चाबियों को पुनः उक्त प्रक्रिया अनुसार बैंक में रखना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-36** में दर्शाये 8 कोषालयों द्वारा पेड लॉक की चाबियों को उक्त नियमानुसार बदलना नहीं पाया गया।

3.8 मुद्रांक लेखे का संधारण

3.8.1 मुद्राकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक 2922/स्टाम्प/2003 दिनांक 21.10.2003 के अनुसार ज्यूडिशियल एवं नान ज्यूडिशियल मुद्राकों के कोषालयों में भण्डारण की सीमा निर्धारित की गई है जिससे मुद्राकों की छपाई, भाड़ा तथा सुरक्षा पर अनावश्यक व्यय न हो।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-37** में दर्शाये गये विवरण अनुसार 21 कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राशि रु. 45.23 अरब मूल्य के मुद्राकों का आवश्यकता/निर्धारित सीमा से अधिक अनावश्यक भण्डारण रखा गया।

3.8.2 अप्रचलित मुद्राकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 27/स्टाम्प/2008 भोपाल दिनांक 03.1.2008 के साथ प्राप्त मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. (40) बी 4-13-07-02-पांच दिनांक 15.11.2007 के निर्देशानुसार विभाग ने ऐसे नान ज्यूडिशियल स्टाम्प जिन पर शब्द **मध्य प्रदेश व क्रमांक मुद्रित न हो**, का प्रदाय प्रतिबंधित किया गया था।

परिशिष्ट संख्या-38 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 15 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राशि रु. 2.84 अरब के अप्रचलित नान ज्यूडिशियल स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्पों का दृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण रखा जाना तथा इन मुद्राकों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।

3.8.3 (i) मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को रु. 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा। इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम, पते तथा

भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसे शासन की ओर से कमीशन के रूप में प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-39** में दर्शाये गये 06 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया ।

(ii) नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजने बावत

संचालनालय के पत्र क्रमांक/मुद्रांक/2004/560 दिनांक 15.6.04 में निर्देश है कि कोषालय अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने कोषालय से जारी किये गये नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों पर डाले गये नंबर एवं दिनांक के विवरण की एडवाइज जारी दिनांक को संबंधित जिला पंजीयक/उपपंजीयक कार्यालय को सीलबंद लिफाफे में भेजेगा ताकि पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री में उपयोग में आने वाले नान ज्यूडिशियल स्टाम्प का प्रमाणीकरण कोषालय से प्राप्त एडवाइज में अंकित नंबर से मिलान हो सके ।

परिशिष्ट संख्या-40 में दर्शाये गये विवरण अनुसार 11 कोषालय एवं इनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को नहीं भेजी गई ।

3.8.4 मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंत शेष में अंतर

कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को कम्प्यूटर से तैयार मासिक लेखा भेजा जाता है जिसके आधार पर महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है । कोषालय में रखे मुद्रांकों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर/उच्च अधिकारियों द्वारा करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र मुद्रांक पंजी (मैनुअल) में अंकित किया जाता है । अतः दोनों अभिलेख मुद्रांक पंजी (मैनुअल) तथा कम्प्यूटर पंजी महत्वपूर्ण है जिसमें कोई अंतर प्रकट नहीं होना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-41** में दर्शाये अनुसार 4 कोषालयों एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों में संधारित मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंतशेष में अंतर परिलक्षित हुआ ।

3.9 सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां

3.9.1 डाटा/प्रणाली के संरक्षण हेतु तार्किक/भौतिक सुरक्षा का अभाव

वर्ष 2018-19 में सभी कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये । इस संबंध में कम्प्यूटर प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई :-

(i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में पर्याप्त मात्रा में स्थापित नहीं किये गये और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई पर्याप्त उपाय किये गये ।

(ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित नहीं किया गया ।

(iii) डिजास्टर अथवा डाटा बेस क्रेश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान तैयार नहीं किया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधी कोई उपाय किये गये ।

(iv) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतो की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई है ।

(v) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई है ।

(vi) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया ।

3.9.2 कोषालयीन डाटा का मिलान विभागीय डाटा से न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दिनांक 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की पुष्टि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रतिमाह कराई जाना अनिवार्य होगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

3.9.3 कोषालयों की सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा में पाई गई अन्य कमियां

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है। अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया है कि साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है । वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान सभी कोषालयों/उपकोषालयों अर्थात् 33 कोषालय एवं 66 उपकोषालयों (परिशिष्ट संख्या-1 में दिये गये विवरण अनुसार) के साफ्टवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई:-

- (1) कम्प्यूटर के उपयोग में आने से मुद्रांक विक्रेताओं को कम्प्यूटर के माध्यम से मुद्रांक जारी किये जाते हैं परंतु प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है, जिससे प्राप्त बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । अतः प्रणाली में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।
- (2) कम्प्यूटर प्रणाली में सिंगल लॉक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) अनुसार आवश्यक है ।
- (3) म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-15/24/2003 /ई-4/दि.11.11.03 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फ्रन्ट डेस्क काउन्टर्स पर लगे कम्प्यूटर्स पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के स्कैन किये हुए प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर तथा अधिकृत देयक वाहकों के पहचान स्वरूप उनके स्कैन किये गये फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर रखे जाने चाहिए जो निरीक्षण के दौरान नहीं पाये गये हैं ।
- (4) नॉन बजटेड राशियों जैसे सा.भ.नि. अग्रिम, समूह वीमा योजना आदि से संबंधित स्वीकृतियाँ बिल पारित होने के पश्चात भी लम्बित/अदावा स्वीकृतियों की सूची में लम्बित रहती है ।

- (5) संचालक कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक मुद्रांक पंजी 2010/248 भोपाल दिनांक 4-12-2010 में दर्शित परिशिष्ट एक एवं दो में दिए बिन्दु अनुसार स्टाम्प जारी करने के फील्ड में डिनोमिनेशन वार मुद्रांक दर्ज करने का फील्ड नहीं है ।
- (6) कर्मचारी का स्थानान्तरण एक कोषालय से दूसरे कोषालय में होने पर उसे कार्यमुक्त करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका यूजर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया गया है अन्यथा उसका दुरुपयोग सम्भव है ।
- (7) प्रधान महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त लेखा अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों को प्रणाली में स्कैन करने का फॉर्मेट नहीं है जिससे सा.भ.नि.अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र का भुगतान करते समय हस्ताक्षरों का मिलान नहीं किया जा सकता है ।
- (8) प्रणाली में व्हीकल मास्टर में प्रविष्टि अनिवार्य रखी जानी चाहिये ।
- (9) कोषालय में सी.सी.टी.वी. एवं इमरजेन्सी सायरन जैसी व्यवस्था नहीं की गई है । तथा भवन की विद्युत व्यवस्था का प्रमाणीकरण लोक निर्माण विभाग के ई एण्ड एम डिवीजन से प्राप्त नहीं किया गया है ।
- (10) कम्प्यूटर के पेंशन फॉर्मेट पी0पी0ओ0 मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फॉर्मेट में किसी पेंशनर के एक से अधिक बार एक कोषालय से दूसरे कोषालय में स्थानान्तरण होने पर स्थानान्तरण की प्रविष्टि दर्ज नहीं होती है। इसी प्रकार दूसरे कोषालय के उपरोक्त फॉर्मेट में भी यह प्रविष्टि कि पेंशनर किस कोषालय से आया है, दर्ज नहीं होती है। इस हेतु पी0पी0ओ0 विस्तार फॉर्मेट में ही स्थानान्तरण की प्रविष्टि दर्ज होती है। अतः पी0पी0ओ0 मोडीफाई आफ्टर एप्रूवल फॉर्मेट में संशोधन की आवश्यकता है।

3.10 व्यय लेखा परीक्षा संबंधी तथा अन्य विसंगतियां

3.10.1 पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 23-ए के अनुसार भाग दो के परिशिष्ट 4-ए में उल्लेखित कोषालयीन अभिलेखों की सूची में उनके समक्ष दर्शाई अवधि तक सुरक्षित रखा जावेगा। निर्धारित अवधि उपरांत रिकार्ड कीपर विनष्टीकरण योग्य अभिलेखों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा तथा अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-42** में दर्शाये गये 29 कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात भी अभिलेखों के विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं की गई ।

3.10.2 यात्रा अग्रिम की राशि का समायोजन न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 271 के अनुसार कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम तभी भुगतान किये जावे जब उन्हें वास्तविक रूप से शासकीय यात्रा पर जाना हो तथा यात्रा पूर्ण होने पर यात्रा अग्रिम राशि का व्यय देयक से यथाशीघ्र समायोजन/वसूली की जानी चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान छिन्दवाड़ा कोषालय एवं उनके अधीनस्थ उपकोषालयों में यात्रा अग्रिम राशि रु. 2700/- का समायोजन नहीं किया गया ।

3.10.3 नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल के संधारण में कमियां

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 157 अनुसार एवं संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./जन-20/75-76/505 दि० 7.1.76 के अनुसार नमूना हस्ताक्षरों की गार्ड फाइल के प्रारम्भ में आहरण अधिकारियों को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट संख्या-43** में दर्शाये गये 16 कोषालयों द्वारा उक्त नियम/आदेश अनुसार नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाइल निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं की गई ।

3.10.4 मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 128(4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में भंडार का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाना चाहिये तथा पंजी का संधारण प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 9 में किया जाकर प्रतिवर्ष पंजी का सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से कराया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट संख्या-44 में दर्शाये गये 26 कोषालयों एवं उपकोषालयों में संधारित मृत स्कंध पंजी का उपरोक्तानुसार सत्यापन नहीं कराया गया ।

3.10.5 सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमियां

मूल नियम 74 के पूरक नियम 29 के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होकर अपने पद पर उपस्थित होता है उसकी एक सेवा पुस्तिका तैयार की जाती है। इस पुस्तिका में शासकीय सेवक के शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना को अभिलिखित किया जाता है तथा उसे कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

निरीक्षण के दौरान **परिशिष्ट संख्या-45** में दर्शाये गये 05 कोषालयों एवं अधीनस्थ उपकोषालयों में सेवा पुस्तिकाओं के संधारण से संबंधित कोषालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन/नमूना जांच टीम में प्रतिवेदित विवरणानुसार कमियां पाई गई है।

परिशिष्ट संख्या – 1

(पैरा-1.2 एवं 3.1)

मध्यप्रदेश स्थित कोषालयों/उपकोषालयों की सूची जिनका निरीक्षण वर्ष 2018-19 में किया गया

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	उपकोषालय
1	दमोह	1	हटा
		2	तेंदूखेड़ा
2	नरसिंहपुर	3	गाडरवाड़ा
		4	करेली
		5	गोटेगांव
3	शिवपुरी	6	करेरा
		7	पिछोर
4	अलीराजपुर	8	जोबट
5	उमरिया		—
6	खरगोन	9	बड़वाह
		10	भीकनगांव
		11	महेश्वर
		12	सनावद
7	जबलपुर	13	सिहोरा
		14	पाटन
8	जबलपुर सिटी		—
9	सतना	15	मैहर
		16	अमरपाटन
10	राजगढ़	17	ब्यावरा
		18	नरसिंहगढ़
		19	जीरापुर
11	जिला इंदौर	20	महू
		21	सांवेर
12	इंदौर सिटी		—
13	बालाघाट	22	बैहर
		23	वारासिवनी
14	बैतूल	24	मुलताई
		25	भैंसदेही
		26	शाहपुर
15	सिंगरौली(बैढ़न)	27	देवसर
		28	चितरंगी
16	मण्डला	29	नैनपुर
		30	निवास
17	मुरैना	31	सबलगढ़

		32	अम्बाह
		33	जौरा
18	उज्जैन	34	महिदपुर
		35	तराना
		36	नागदा
19	रतलाम	37	आलोट
		38	जावरा
20	रीवा	39	मउगंज
		40	हनुमना
21	मोतीमहल		—
22	ग्वालियर	41	डबरा
23	सागर	42	खुरई
		43	बीना
		44	रहली
24	विन्ध्याचल		—
25	वल्लभ भवन		—
26	आगरमालवा	45	सुसनेर
		46	नलखेड़ा
27	विदिशा	47	सिरोंज
		48	लटेरी
		49	कुरवाई
		50	गंजवासौदा
28	धार	51	बदनावर
		52	कुक्षी
		53	गंधवानी
29	भिण्ड	54	गोहद
		55	लहार
30	देवास	56	बागली
		57	खातेगांव
		58	सोनकच्छ
		59	कन्नौद
31	छिन्दवाड़ा	60	सौंसर
		61	पांडुरना
32	बड़वानी	62	राजपुर
		63	सेंधवा
33	सीहोर	64	आष्टा
		65	नसरुल्लागंज
		66	बुदनी

परिशिष्ट संख्या-2

(पैरा-1.3)

कोषालयों का उच्च जोखिम (High risk), मध्यम जोखिम (Medium risk) एवं कम जोखिम (Low risk) के रूप में वर्गीकरण

उच्च जोखिम (High risk) वाले कोषालय		मध्यम जोखिम (Medium risk) वाले कोषालय		कम जोखिम (Low risk) वाले कोषालय	
स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	जबलपुर सिटी	1	सिंगरौली	1	रतलाम
2	भोपाल	2	सतना	2	खण्डवा
3	जिला इंदौर	3	खरगौन	3	बडवानी
4	रीवा	4	बालाघाट	4	पन्ना
5	सागर	5	होशंगाबाद	5	गुना
6	धार	6	छतरपुर	6	नरसिंहपुर
7	ग्वालियर	7	देवास	7	सीधी
8	छिन्दवाड़ा	8	सिवनी	8	टीकमगढ़
9	उज्जैन	9	मुरैना	9	मंदसौर
10	इंदौर सिटी	10	शिवपुरी	10	शहडोल
11	जिला जबलपुर	11	बैतूल	11	शाजापुर
12	मोतीमहल	12	विदिशा	12	झाबुआ
13	विन्ध्याचल भवन	13	राजगढ़	13	कटनी
14	वल्लभ भवन	14	मण्डला	14	दतिया
		15	सीहोर	15	डिण्डोरी
		16	भिण्ड	16	अशोकनगर
		17	रायसेन	17	नीमच
		18	दमोह	18	अनूपपुर
				19	अलीराजपुर
				20	हरदा
				21	बुरहानपुर
				22	उमरिया
				23	श्यापुर
				24	आगरमालवा

परिशिष्ट संख्या-3
(पैरा-2.1)

कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलम्ब

लेखा माह	कोषालय का नाम	लेखा प्राप्त होने की निर्धारित तिथि	लेखा प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	विलम्ब		
				1-5 दिन	6-10 दिन	10-15 दिन
04/2018	रायसेन	08/05/2018	09/05/2018	1		
	खंडवा	08/05/2018	09/05/2018	1		
	दतिया	08/05/2018	10/05/2018	2		
	बालाघाट	08/05/2018	11/05/2018	3		
	विदिशा	08/05/2018	11/05/2018	3		
	इंदौरसिटी	08/05/2018	14/05/2018		6	
05/2018	झाबुआ	08/06/2018	11/06/2018	3		
	हरदा	08/06/2018	11/06/2018	3		
	सिवनी	08/06/2018	11/06/2018	3		
	श्योपुर	08/06/2018	11/06/2018	3		
	कटनी	08/06/2018	11/06/2018	3		
	नरसिंहपुर	08/06/2018	11/06/2018	3		
	रायसेन	08/06/2018	11/06/2018	3		
	मंडला	08/06/2018	11/06/2018	3		
	सिंगरोली	08/06/2018	11/06/2018	3		
	अलीराजपुर	08/06/2018	12/06/2018	4		
	धार	08/06/2018	12/06/2018	4		
	शिवपुरी	08/06/2018	12/06/2018	4		
	भोपाल	08/06/2018	13/06/2018	5		
	बड़वानी	08/06/2018	13/06/2018	5		
	दतिया	08/06/2018	15/06/2018		7	
	गुना	08/06/2018	15/06/2018		7	
	उज्जैन	08/06/2018	15/06/2018		7	
	खंडवा	08/06/2018	15/06/2018		7	
राजगढ़	08/06/2018	15/06/2018		7		

06/2018	दतिया	08/07/2018	09/07/2018	1		
	सिवनी	08/07/2018	09/07/2018	1		
	विंध्याचल	08/07/2018	09/07/2018	1		
	बड़वानी	08/07/2018	09/07/2018	1		
	रायसेन	08/07/2018	09/07/2018	1		
	शिवपुरी	08/07/2018	09/07/2018	1		
	रीवा	08/07/2018	09/07/2018	1		
	मंडला	08/07/2018	09/07/2018	1		
	अनूपपुर	08/07/2018	09/07/2018	1		
	रतलाम	08/07/2018	10/07/2018	2		
	वल्लभ भवन	08/07/2018	11/07/2018	3		
	उमरिया	08/07/2018	11/07/2018	3		
	सिंगरोली	08/07/2018	11/07/2018	3		
	नरसिंहपुर	08/07/2018	12/07/2018	4		
	जबलपुर	08/07/2018	13/07/2018	5		
	राजगढ़	08/07/2018	13/07/2018	5		
हरदा	08/07/2018	17/07/2018		9		
07/2018	झाबुआ	08/08/2018	09/08/2018	1		
	बड़वानी	08/08/2018	09/08/2018	1		
	नरसिंहपुर	08/08/2018	09/08/2018	1		
	सतना	08/08/2018	09/08/2018	1		
	रीवा	08/08/2018	09/08/2018	1		
	मंडला	08/08/2018	09/08/2018	1		
	दतिया	08/08/2018	10/08/2018	2		
	हरदा	08/08/2018	10/08/2018	2		
	शिवपुरी	08/08/2018	10/08/2018	2		
	आगर मालवा	08/08/2018	10/08/2018	2		
	इंदौरसिटी	08/08/2018	10/08/2018	2		
	इंदौर	08/08/2018	10/08/2018	2		
	सिंगरोली	08/08/2018	10/08/2018	2		
	सिवनी	08/08/2018	13/08/2018	5		

	अलीराजपुर	08/08/2018	13/08/2018	5		
	राजगढ़	08/08/2018	13/08/2018	5		
	दमोह	08/08/2018	14/08/2018		6	
08/2018	झाबुआ	08/09/2018	10/09/2018	2		
	हरदा	08/09/2018	10/09/2018	2		
	गुना	08/09/2018	10/09/2018	2		
	खंडवा	08/09/2018	10/09/2018	2		
	मुरैना	08/09/2018	10/09/2018	2		
	विंध्याचल	08/09/2018	10/09/2018	2		
	बड़वानी	08/09/2018	10/09/2018	2		
	खरगौन	08/09/2018	10/09/2018	2		
	इंदौर	08/09/2018	10/09/2018	2		
	मंडला	08/09/2018	10/09/2018	2		
	सिंगरोली	08/09/2018	10/09/2018	2		
	दतिया	08/09/2018	11/09/2018	3		
09/2018	शिवपुरी	08/10/2018	09/10/2018	1		
	गुना	08/10/2018	10/10/2018	2		
	दतिया	08/10/2018	11/10/2018	3		
	कटनी	08/10/2018	11/10/2018	3		
10/2018	खंडवा	08/11/2018	09/11/2018	1		
	शिवपुरी	08/11/2018	09/11/2018	1		
	दतिया	08/11/2018	12/11/2018	4		
	मंडला	08/11/2018	12/11/2018	4		
	गुना	08/11/2018	13/11/2018	5		
11/2018	खंडवा	08/12/2018	10/12/2018	2		
	विंध्याचल	08/12/2018	12/12/2018	4		
	शिवपुरी	08/12/2018	12/12/2018	4		
	दतिया	08/12/2018	17/12/2018		9	
	सिवनी	08/12/2018	17/12/2018		9	
12/2018	मंडला	08/01/2019	09/01/2019	1		
	दतिया	08/01/2019	18/01/2019		10	
01/2019	सिंगरोली	08/02/2019	12/02/2019	4		

	शिवपुरी	08/02/2019	12/02/2019	4		
02/2019	दतिया	08/03/2019	09/03/2019	1		
	आगर मालवा	08/03/2019	09/03/2019	1		
	बालाघाट	08/03/2019	09/03/2019	1		
	सिंगरोली	08/03/2019	09/03/2019	1		
	हरदा	08/03/2019	12/03/2019	4		
	विदिशा	08/03/2019	14/03/2019		6	
03/2019	भोपाल	08/04/2019	09/04/2019	1		
	धार	08/04/2019	09/04/2019	1		
	जबलपुर सिटी	08/04/2019	09/04/2019	1		
	दतिया	08/04/2019	11/04/2019	3		
	गुना	08/04/2019	12/04/2019	4		
	शिवपुरी	08/04/2019	16/04/2019		8	

परिशिष्ट संख्या-4(i)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2010-11 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	BETUL	BHANSDEHI	4644	11/10, 12/10, 02/2011
2	BHIND	GOHAD	3094	03/2011
		BHIND	3512	03/2011
		ATER	0834	03/2011
3	BHOAPL	GOVT.BUISS. BRANCH	1310	04/10, 06/10, 07/2010
4	CHINDWARA	AMARWADA	1713	09/2010
5	DATIA	BHANDER	3098	10/2010
		SEONDHA	4807	10/2010
6	GUNA	RAGHORAGH	3085	12/10, 01/2011
7	HARDA	HARDA	0379	12/2010
	CITY INDORE	KHATIWALTANK	3426	03/2011
		M.G.ROAD KOTHARI MARKET	3107	07/2010
		SUKALIYA	3153	03/2011
8	JABALPUR	GORAKHPUR	3140	02/2011
9	M.M. GWALIOR	AUDHOGIK CHHETRA	1464	11/2010
10	NARSINGPUR	NARSINGPUR	3244	04/2010

11	RAISEN	UDAYPURA	0308	11/10, 02/11, 03/11
		SILWANI	0544	11/10,01/11, 03/11
		GAIRATGANJ	1035	04/10, 02/11
12	RAJGARH	RAJGARH	3074	09/2010
		NARSINGGARH	3071	03/2011
13	REWA	MAUGANJ	0206	08/10, 03/11
		SIRMOR	0868	03/2011
		TYOCHHAR	0876	08/2010
		REWA	3251	08/10, 10/10, 11/10
14	SATNA	SATNA	ALL BR.	06/2010
15	SHEOPUR	SHEOPUR	3089	03/2011
		VIJAYPUR	3091	04/2010 TO 12/2010
16	SIDHI	MANJHOLI	9495	02/2011
		DEVSAR	1730	06/2010

परिशिष्ट संख्या-4(ii)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2011-12 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	BADWANI	SENDHWA	3032	09/11
2	BALAGHAT	BALAGHAT	3394	10/2011
3	BETUL	BHAINSDEHI	4644	5, 6, 10/11
4	BHIND	BHIND	3093	4, 10/2011, 2/2012
		GOHAD	3094	06/11 TO 12/11
		MEHGAON	3095	11/11
		LAHAR	3124	4, 5, 7/11, 03/2012
		BHIND	3512	4, 5, 6, 11/2011
		ATER	0834	4, 5, 11/11, 1/12
5	DATIA	DATIA	0358	5, 7, 8, 9/11
		BHANDER	3098	7, 10,12/11
		SENDWA	4807	9, 10/11,2, 3/12
6	DHAR	DHARAMPURI	3044	9/11
		SARDARPUR (RAJGARH)	3046	9/11
		PATHAMPUR	3201	2/12
7	INDORE CITY	CITY BRANCH	0388	3/12
		MILL AREA	3019	12/11
		M.G. ROAD	3107	12/11
8	JABALPUR	GORAKHPUR	3140	7/11
9	JHABUA	ALIRAJPUR	3047	11/11
		JOBAT	3048	4/11
10	MANDSAUR	MALHARGARH	3060	7/11
11	MOTIMAHAL GWL.	MOTIMAHAL GWL.	4620	11, 12/2011
		INDUSTRIAL ESTATE GWL	1464	11, 12/2011
12	RAISEN	RAISEN	0462	10, 12/11
		SILWANI	0544	6/11
		GAIRATGANJ	1035	12/11
		ADB BARELI	5339	06/11, 11/11, 12/11

13	RAJGARH	SARANGPUR	3072	09/2011,2/2012
		BYAWARA	3155	12/11, 2/12
14	REWA	REWA	0468	5, 11/ & 11-2011
		MAUGANJ	206	5, 11/ & 11-2011
		SIRMORE	868	5, 11/ & 11-2011
		TEOTHER	876	5, 11/ & 11-2011
		HANUMANA	2853	5, 11/ & 11-2011
		REWA	3251	5, 11/ & 11-2011
15	SAGAR	SAGAR (SBN)	3179	5/2011, 2/2012
		KHURAI	0412	5, 6, 7, 8/11, 2, 3/12
		BANDABELAI	0739	4/2011
		BEENA	1427	7/11, 2/12
		DEORI	4910	4/2011, 2/2012
		RAHELI	5373	5, 7, 8, 9, 11/2011
		GARAHKOTA	6138	4, 7/2011, 2/2012
16	SHAJAPUR	SHAJAPUR	3493	12/11
17	SHEOPUR	SHEOPUR	3089	08/11
		VIJAYPUR	3091	09/2011 To 03/2012
18	SHIVPURI	KARERA	3125	8, 9/2011
19	SIDHI	ABD CHURHAT	7644	3/12
20	SINGROLI	AMILIYA	9627	5, 6/2011
21	TIKAMGARH	TIKAMGARH	0490	12/2011
22	UJJAIN	TARANA	3065	03/2012
		GHATIYA	9123	03/2012

परिशिष्ट संख्या-4(iii)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2012-13 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	BALAGATH	ALL BRANCHES	ALL BR.	04/2012 & 03/2013
2	BHIND	ALL BRANCHES	ALL BR.	04/2012 & 05/2012
3	DATIA	DATIA	0358	07/12,08/12,10/12
		BHANDER	3098	05/12, 07/12, 08/12, 11/12
		SEONDHA	4807	06/12
4	DHAR	KUKSHI	3042	12/2012
		SARDARPUR (RAJGARH)	3046	11/12
5	HARDA	HARDA	0379	01/13
6	INDORE MAIN	SANVER	3026	01/13
7	CITY INDORE	NAVLAKHA	3109	09/12
8	KARGONE	SANAWAD	3031	02/13
		BIKANGAON	3033	02/13
		MAHSWER	3037	02/13
		MANDLESWAR	3466	02/13
9	MANDSAUR	SUVASRA	1064	12/2012
10	MOTIMAHAL GWL.	MOTIMAHAL GWL.	4620	08/12,09/12
		INDUSTRIAL ESTATE GWL	1464	08/12,09/12

11	RAISEN	SILWANI	0544	04/12 & 12/12,03/2013
		GAIRATGANJ	1035	09/12, 10/12
		BEGAMGANJ	2831	12/2012
		ADB BARELI	5339	02/13,03/13
		GOHARGANJ	0732	03/13
12	RAJGARH	JEERAPUR	3423	03/13
		SARANGPUR	3072	07/12 TO 09//12
		NARSINGGARH	3071	01/13 TO 03/13
13	RATLAM	TOPKHANA	3051	05/12
		JAWRA	3052	07/12
14	SAGAR	SAGAR S.B.N.	3179	05/12
		SAGAR S.B.I.	4543	09/12
		BANDABELAI	0739	11/2012 ,01/2013,03/13
		RAHELI	5373	09/12,02/13
15	SAJAPUR	AAGAR	3066	04/12
		SAJAPUR S.B.I.	3493	05/12
16	SHEOPUR	SHEOPUR	3089	10/12
		VIJAYPUR	3091	04/12 TO 03/13
17	SIDHI	ABD CHURHAT	7644	01/13 TO 03/13
		MANJHOLI	9495	04/12,05/12,02/13,03/13
		KUSHMI	4839	04/12,05/12,07/12,08/12

परिशिष्ट संख्या-4(iv)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2013-14 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	DATIA	DATIA	0358	12/2013
		BHANDER	3098	04/13,08/2013
2	DEWAS	BAGLI	3008	06/13
3	DHAR	DHAR SBI	3417	04/13,08/13,03/14
4	HARDA	HARDA	0379	11/13,12/13
		HARDA SBN	3225	05/13,06/13,11/13, &12/13
5	CITY JABALPUR	TULARAM CHOWK	1398	02/14
		JAWAHARGANJ	3110	02/14
6	ALIRAJPUR	JOBAT	3048	12/13,02/14
7	KHARGONE	SANAWAD	3031	06/13,03/14
		BHIKANGAON	3033	03/2014
		SEGAON	5486	11/13
8	M.M. GWALIOR	MOTIMAHAL GWL.	4620	09/13,11/13,12/13,03/14
		INDUSTRIAL ESTATE	1464	09/13,11/13,12/13,03/14
9	RAISEN	SILWANI	0544	07/13 TO 09/13,02/14,03/14
		GOHARGANJ	0732	04/13 TO 11/13
		ADB BARELI	5339	09/13,10/13,03/14
		GAIRATGANJ	1035	06/13, 07/13,01/14

10	RATLAM	TOPKHANA	3051	04/13
		ALOT	3114	08/13
11	SAJAPUR	AAGAR	3066	07/13
12	SHEOPUR	SHEOPUR	3089	05/13 TO 07/13&12/13,01/14,03/14
		VIJAYPUR	3091	04/13 TO 01/14 & 03/14
13	SHIVPURI	KOLARAS	3087	02/14
		SHIVPURI SBN	3086	01/14,03/14
		PICHHORE	3088	02/14
		POHARI	3118	01/14 To 03/14
		KARERA	3125	02/14
		SHIVPURI SBI	3215	03/14
14	SIDHI	A.D.B. CHURAT	7644	12/13,01/14
		MANJHOLI	9495	04/13
		AMILIYA	9627	01/14
		KUSHMI	4839	01/14
15	SINGROLI	KHATAI	9045	06/13 TO 08/13, 10/13, 02/14, 03/14
		DEVSAR	1730	11/13 TO 01/14, & 03/14

परिशिष्ट संख्या-4(v)
(पैरा-2.22)

वर्ष 2014-15 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	ANUPPUR	PUSPRAJGARH	1691	08/14
2	DATIA	DATIA	0358	10/2014,03/2015
		BHANDER	3098	11/2014
3	DEWAS	DEWAS	ALL BR.	01/2015
4	DHAR	DHAR SBI	3417	07/14
5	DINDORI	DINDORI	1061	11/14, 12/14
6	GWALIOR SP.	MAYUR MARKET	7933	10/14,01/15
7	CITY INDOE	M.G. ROAD IND.	3107	10/14
8	CITY JABALPUR	TULARAM CHOWK	1398	06/14,11/14,01/15,03/20 15
		JAWAHARGANJ	3110	05/14,06/14,11/14,01/15 ,03/15
		MADATAL	6038	11/14,01/15,03/2015
		JAWAHARGANJ JBC	4707	11/14,01/15,03/2015
9	KATNI	KATNI	0405	10/14
10	KHARGONE	BADWAH	3029	04/14,06/14 TO 08/14
		BHIKANGAON	3033	05/14,07/14
		SEGAON	5486	03/15
		KASRAWAD	3035	12/14
		MAHESHWAR	3037	04/14
11	M.M. GWALIOR	ASHOKA HOTAL	0298	01/15

12	RAISEN	SILWANI	0544	04/14,05/14
		ADB BARELI	5339	03/2015
		GAIRATGANJ	1035	10/14
13	RATLAM	JAWARA	3052	05/14
		SAILANA	3053	05/14,06/14
		A LOT	3114	05/14
		BAJNA	0770	05/14
14	REWA	DEEP COMPLAX	3251	07/14
		SIRMOR (PNB) BR.	0868	05/14
15	SAGAR	SAGAR	ALL BR.	08/14
		KHURAI	0412	05/14
16	SEHORE	SHYAMPUR	2186	12/14
17	SAJAPUR	SUJALPUR MANDI	3068	11/14
18	AAGAR MALWA	NALKHEDA	3069	06/14,08/14
19	SHEOPUR	SHEOPUR	3089	04/14,06/14,08/14 TO 11/14 &01/15
		VIJAYPUR	3091	04/14, 10/14
20	SHIVPURI	SHIVPURI	ALL BR.	06/2014
		KOLARAS	3087	04/14
		KARERA	3125	05/14
		SHIVPURI	3215	04/14 TO 06/14
21	SINGROLI	WAIDHAN	3848	04/14 TO 06/14
		KHATI	9045	04/14
		DEVSAR	1730	04/14,05/14,08/14
22	V.C. BHOPAL	MLA REST HOUSE	6159	09/14, 10/14 , 12/14
		I.C.I.C.I BANK	2011	09/14 TO 11/14
		AXIS BANK	2012	12/14
		NEW MARKET BPL.	1276	09/14 TO 02/15
		HAMIDIA ROAD	0196	10/14 TO 12/14
		VIJAYA BANK	5030	12/14 TO 03/15
		MAHARASTRA BANK	0753	03/15

परिशिष्ट संख्या-4(vi)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2015-16 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क्र.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	BHIND	BANGLA BAZAR	2330	10/15
2	V.B. BHOPAL	T.T. NAGAR	3005	07/15,02/16
3	DATIA	DATIA	0358	08/15 TO 10/15, 01/16 TO 03/16
4	DHAR	GANDHWANI	3149	04/15
5	DINDORI	DINDORI	1061	07/15 TO 09/15
6	HOSHANGABAD	SOHAGPUR	1124	02/16
7	INDORE MAIN	SANVER	3026	01/16

8	CITY JABALPUR	TULARAM CHOWK	1398	04/15 TO 07/15,09/15,11/15,03/16
		JAWAHARGANJ	3110	04/15 TO 07/15,09/15,11/15,03/16
		MADATAL	6038	04/15 TO 07/15,09/15,11/15,03/16
		JAWAHARGANJ JBC	4707	04/15 TO 07/15,09/15,11/15,03/16
9	KATNI	KATNI	0405	04/15 TO 10/15 & 01/16 TO 03/16
		VIJAYRAGAVGARH	4643	04/15 TO 03/16
10	KHANDWA	KHANDWA	4092	05/15,06/15
		HARSUD	1472	06/15
		NARMADA NAGAR	8522	05/15,06/15
11	KHARGONE	KHARGONE	ALL BR.	04/15
		MANDLESHWAR	3466	06/15
12	MANDLA	NAINPUR	2876	12/15
		NIWAS	4641	11/15
13	MANDSAUR	SUVASRA	1064	05/15
		MALHARGARH	3060	04/15
14	NARSINGPUR	KARELI	2860	09/15
15	RAISEN	RAISEN	0462	12/15, 03/16
		SILWANI	0544	08/15, 12/15 & 03/16
		MANDIDEEP	6190	03/16
16	SATNA	SATNA	ALL BR.	11/15 TO 03/16
17	SHEOPUR	SHEOPUR KALAN	3089	08/15, 10/15, 11/15
		VIJAYPUR	3091	04/15 TO 03/16
18	SHIVPURI	SHIVPURI	3086	10/15
		SHIVPURI	3088	04/15
		KARERA	3125	07/15
19	SINGROLI	KHATI	9045	07/15,01/16
20	UMARIA	UMARIA	1349	04/15,06/15,09/15
21	V.C. BHOPAL	MLA REST HOUSE	6159	08/15, 02/16
		ARERA HILLS	3312	08/15
		I.C.I.C.I BANK	2011	01/16
		NEW MARKET BPL.	1276	04/15, 05/15, 02/16 & 03/16
		ARERA HILLS (BOI)	9007	03/16
		HAMIDIA ROAD (ALB)	0196	04/15
		M.P. NAGAR	3343	12/15
		T.T. NAGAR (BOB)	2554	08/15, 12/15 TO 03/16
		DENA BANK	0092	08/15, 03/16

परिशिष्ट संख्या-4(vii)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2016-17 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	BHIND	BANGLA BAZAR	2330	12/16 , 03/17
2	BHOPAL	BHOPAL	ALL BR.	02/17
3	DATIA	DATIA	0358	04/16, 07/16 TO 02/17
		BHANDER	3098	11/16
		SEONDHA	4807	11/16
4	HARDHA	HARDHA	0379	06/16
		HARDHA	3225	05/16,06/16 &12/16
5	DINDORI	DINDORI	1061	10/16
6	CITY JABALPUR	TULARAM CHOWK	1398	04/16, 05/16, 07/16, 08/16, 10/16
		JAWAHARGANJ	3110	04/16, 05/16, 07/16, 08/16, 10/16
		MADATAL	6038	04/16, 05/16, 07/16, 08/16, 10/16
		JAWAHARGANJ JBC	4707	05/16, 07/16, 08/16, 10/16
7	ALIRAJPUR	ALIRAJPUR	ALL BR.	04/16
		JOBAT	3048	03/17
8	KATNI	KATNI	ALL BR.	04/16 TO 03/17
9	NARSINGPUR	KARELI	2860	03/17
10	RAISEN	RAISEN	0462	08/16,09/16,01/17, 03/17
		SILWANI	0544	02/17,03/17
		GOHARGABJ	0732	02/17
		ADB BARELI	5339	10/16, 11/16
11	SATNA	SATNA	0474	12/16
		RAMPUR BAGELAN	0244	10/16, 12/16, 03/17
		MAIHAR	0417	04/16, 11/16
		SATNA CITY	1260	12/16
		NAGOD	1348	12/16
		SATNA SBN	3178	12/16
12	AAGAR MALWA	NALKEDHA	3069	05/16, 09/16
13	SHEOPUR KALAN	VIJAYPUR	3091	04/16 TO 03/17
14	SHIVPURI	PICCHORE	3088	09/16, 10/16 & 01/17
15	SIDHI	SIDHI	ALL BR.	02/17
16	SINGROLI	KHATI	9045	12/16, 02/17
		DEVSAR	1730	11/16, 12/16
17	UJJAIN	UJJAIN	ALL BR.	11/16
18	UMARIA	UMARIA	1349	04/16, 06/16, 01/17
19	V.C. BHOPAL	MLA REST HOUSE	6159	06/16, 08/16, 01/17
		I.C.I.C.I BANK	2011	03/17
		NEW MARKET BPL.	1276	05/16
		ARERA HILLS (BOI)	9007	05/16
		T.T. NAGAR (BOB)	2554	04/16 TO 08/16
		DENA BANK	0092	04/16

परिशिष्ट संख्या-4(viii)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2017-18 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	ALIRAJPUR	ALIRAJPUR	ALL BR.	06/17, 08/17
2	ANUPPUR	PUSPRAJGARH	1691	06/17
3	BALAGHAT	BALAGHAT	ALL BR.	02/18
4	BHIND	MEHGAON	3095	05/17
		LAHAR	3124	04/17
5	BHOPAL	BHOPAL	ALL BR.	10/17
		BERASIA ROAD	1499	04/17, 06/17, 08/17,09/17
		MARWADI ROAD	3003	04/17 TO 06/17 08/17,
		BAIRAGARH	3004	04/17 TO 08/17
		CHNDBARH	1577	04/17 TO 11/17
		SHAMALA HILLS	3863	04/17 TO 08/17
		BAIRAGARH	8241	04/17 TO 06/17 & 08/17
6	CITY JABALPUR	CITY JABALPUR	ALL BR.	08/17
7	DATIA	DATIA	0358	04/17 TO 12/17 02/18
8	DINDORI	DINDORI	1061	06/17, 10/17
9	DISST. JABALPUR	SEHORA	0487	12/17
		PATAN	5546	06/17
		GORAKPUR	3140	11/17
		AADARTALL	5348	09/17
10	GWALIOR SP.	GWALIOR	ALL BR.	01/18, 02/18
11	HARDHA	HARDHA	0379	07/17, 01/18
12	HOSHANGABAD	HOSHANGABAD	ALL BR.	02/18
13	KATNI	KATNI	ALL BR.	06/17, 08/17 TO 10/17 & 01/18
14	KHARGONE	KHARGONE	ALL BR.	12/17
15	MANDLA	NAINPUR	2876	10/17
		NIWAS	4641	10/17
16	MANDSAUR	BHANPURA	3057	12/17
17	RAISEN	RAISEN	0462	04/17, 07/17, 03/18
		SILWANI	0544	06/17, 07/17 & 12/17
		ADB BARELI	5339	05/17
		MANDIDEEP	6190	06/17
18	RAJGARH	NARSINGGARH	3071	07/17
		SARANGPUR	3072	03/18
		KHILCHIPUR	3073	10/17,03/18
		JEERAPUR	3423	06/17, 07/17 & 11/17
19	SAJAPUR	SUJALPUR MANDI	3068	12/17
		SAJAPUR (SBI)	3493	12/17
20	SHEOPUR	SHEOPUR	ALL BR.	04/17 TO 03/18
21	SHIVPURI	SHIVPURI	3086	08/17,10/17 &12/17
		PICHHORE	3088	06/17, 02/18
22	SIDHI	SIDHI	ALL BR.	11/17
23	SINGROLI	DEVSAR	1730	05/17, 07/17 & 09/17
24	UJJAIN	UJJAIN	ALL BR.	03/18

25	UMARIYA	UMARIYA	1349	02/18
26	V.C. BHOPAL	MLA REST HOUSE	6159	09/17 TO 12/17
		MALVIYA NAGAR	2676	09/17
		ICICI BANK	2011	10/17
		DENA BANK	0092	12/17

परिशिष्ट संख्या-4(ix)

(पैरा-2.22)

वर्ष 2018-19 के अप्राप्त तथा असमायोजित व्ही.डी.एम.एस. का विवरण

स.क.	कोषालय	उपकोषालय	बैंक कोड	माह
1	ASHOKNAGAR	ASHOKNAGAR	3082	11/18
		CHANDERI	3080	11/18
		MUNGAWALI	3084	02/19
2	BALAGHAT	BAHIR	1168	08/18, 10/18
3	BHIND	BHIND	ALL BR.	03/19
4	BHOPAL	BERASIA ROAD	1499	04/18, 08/18
5	DAMOH	DAMOH	ALL BR.	06/18 & 03/18
6	GWALIOR SP.	GWALIOR SP.	ALL BR.	04/18 TO 08/18 & 12/18, 02/19
		DABRA	3097	09/18
		MAYUR MARKET	7933	01/19
8	DISST. JABALPUR	DISST. JABALPUR	ALL BR.	07/18 TO 03/19
9	CITY JABALPUR	JAWAHARGANJ	3110	02/19, 03/19
10	JHABUA	JHABUA	ALL BR.	01/19
11	KATNI	KATNI	ALL BR.	06/19 TO 03/19
12	KHARGONE	KHARGONE	ALL BR.	02/19
		SEGAON	5486	06/18
		MANDLESHWAR	3466	01/19
13	RAISEN	RAISEN	0462	07/18
		UDAYPURA	0308	05/18
		SILWANI	0544	12/18
		GOHARGANJ	0732	06/18, 02/19
		ADB BARELI	5339	04/18
		GAIRATGANJ	1035	02/19
14	RAJGARH	RAJGARH	ALL BR.	12/18 TO 03/19
		SARANGPUR	3072	06/18, 08/18, & 10/18
		KHILCHIPUR	3073	11/18
		BYAWARA	3155	10/18
		JEERAPUR	3423	05/18
15	RATLAM	BAJNA	0770	07/18
16	REWA	MAUGANJ	0206	01/19
		SIRMOR (PNB) BR.	0868	01/19
		SIRMOR (UBI) BR.	0133	01/19

17	SATNA	SATNA	ALL BR.	06/18 & 08/18
18	SAJAPUR	SAJAPUR	ALL BR.	05/18
19	SHEOPUR	SHEOPUR	ALL BR.	04/18 TO 03/19
20	SHIVPURI	SHIVPURI	3086	09/18
		KOLARAS	3087	11/18
		PICHHORE	3088	08/18, 11/18
21	SIDHI	SIDHI	ALL BR.	02/19
22	UMARIYA	UMARIYA	1349	05/18 TO 03/19
23	V.C. BHOPAL	MLA REST HOUSE	6159	07/18, 09/18, 10/18, 01/19 TO 03/19
		MALVIYA NAGAR	2676	06/18 TO 08/18
		ARERA HILLS	3312	09/18
		I.C.I.C.I BANK	2011	10/18
		DENA BANK	0092	06/18 TO 11/18 & 01/19 TO 03/19

परिशिष्ट संख्या-5 'अ'

(पैरा-2.23)

**कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में अंकित आर.बी.डी.राशि तथा आर.बी.डी.पत्रक में दर्शित राशि में अंतर
(माह 3/2019 तक समायोजित)**

स.क्र.	कोषालय	माह	नगद लेखा अनुसार कोषालय की राशि	आर.बी.डी. पत्रक अनुसार कोषालय की राशि	अंतर	
					डेबिट	क्रेडिट
1.	Betul	03/18	2241600250 Cr.	2241477012 Cr.	0.00	123238
2.	Datia	02/17	591842618 Cr.	591842348 Cr.	0.00	270.00
3.	Datia	09/17	630181343 Cr.	630200140 Cr.	18797	0.00
4.	Dindori	02/18	491289446 Cr.	491283446 Cr.	0.00	6000
5.	DistTry.J abalpur	09/14	539471486Cr	539501837Cr	30351	00
6.	Harda	03/17	410251810 Cr.	410060038 Cr.	0.00	191772
7.	Harda	10/17	219185314 Cr	219134123 Cr	0.00	51191.00
8.	Harda	09/18	531428581 Cr.	541919592 Cr.	10491011	0.00
9.	Kargone	07/17	963339884 Cr.	963458715 Cr.	118831	0.00
10.	Narsingpu r	07/14	350521233Cr	349225873Cr	00	1295360
11.	Narsingpu r	06/17	729734965 Cr.	729733725 Cr.	0.00	1240
12.	Neemuch	10/16	454406006 Cr.	454405606 Cr.	0.00	400
13.	Raisen	02/14	378684994 Cr.	378383418 Cr.	00	301576
14.	Raisen	04/14	119130218 Cr.	119143193 Cr.	12975	00

15.	Raisen	07/14	141534481Cr	141536471Cr	1990	00
16.	Raisen	05/17	490595330 Cr.	493513504 Cr.	2918174	0.00
17.	Rajgarh	05/17	2960587200 Cr.	2961414895 Cr.	827695.00	0.00
18.	Sehore	05/12	179003496 Cr.	195498337 Cr.	16494841	00
19.	Sehore	02/14	99398320 Cr.	99398445 Cr.	125	00
20.	Seoni	10/16	1030828632 Cr.	1030824463 Cr.	0.00	4169
21.	Seoni	12/17	731283990 Cr.	731274290 Cr.	0.00	9700.00
22.	Shahdol	06/17	425649923 Cr.	425639923 Cr.	0.00	10000
23.	Singroli	05/14	827254739 Dr.	826954739 Dr.	300000	00
24.	Tikamgarh	04/12	172513380 Cr.	172507972 Cr.	0.00	5408
25.	Tikamgarh	07/18	1338531569 Cr.	1338541369 Cr.	9800	0.00
26.	Ujjain	07/17	1238325629 Cr.	1238750629 Cr.	425000	0.00
27.	Umariya	03/18	771475895 Cr.	771474895 Cr.	0.00	1000
28.	V.B. Bhopal	10/13	3037300261 Dr.	3035100261 Dr.	2200000	00
29.	V.B. Bhopal	04/14	6487006200 Dr.	6486779415 Dr.	226785	00
30.	V.B. Bhopal	04/15	1395938819 Cr.	1404238819 Cr.	8300000	0.00
31.	V.B. Bhopal	07/15	3058216866 Cr.	3143689866 Cr.	85473000	0.00
32.	V.B. Bhopal	10/15	1932695098 Cr.	1973306596 Cr.	40611498	0.00
33.	V.B. Bhopal	01/16	2029186213 Cr.	2114168213 Cr.	84982000	0.00
34.	V.B. Bhopal	10/18	10181564722 Cr.	10181564721 Cr.	0.00	01.00
	TOTAL				253452673	2001325

परिशिष्ट संख्या – 5'ब'

(पैरा-2.23)

31 मार्च 2019 की स्थिति में मुख्य शीर्ष 8675-रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की लंबित मदों की सूची

1. (दिनांक 31.10.1990 के पूर्व की लंबित मदें)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	सतना	सतना कोषालय	4 / 77	—	1062.48	
2	सीहोर	एस.बी.आई. 1264 / नसरुल्लागंज	2 / 83	300	—	
3	दमोह	एस.बी.आई. 1332 / हटा	12 / 87	—	1526	

2. (दिनांक 01.4.1990 के बाद की लंबित मदें)

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	क्रेडिट	डेबिट	अभ्युक्तियां
1	शहडोल	एस.बी.आई. 0481 / शहडोल	4 / 90	24569	00	बैंक परिशोधन
2	—"—	—"—	7 / 90	00	38068.75	—"—
3	—"—	—"—	10 / 90	00	21824	—"—
4	रतलाम	एस.बी.आई. 6983 (0466 पुराना) / रतलाम	7 / 90	00	64265	—"—
5	विदिशा	स्टेट बैंक इंदौर 3075 / विदिशा	7 / 90	00	26780	—"—
6	इंदौरसिटी	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	7 / 90	33005.30	00	—"—
7	—"—	एस.बी.आई. 0387 / मुख्य शाखा	4 / 91	790166	00	—"—
8	—"—		5 / 92	00	191105	—"—
9	—"—		6 / 92	00	216233	—"—
10	—"—		7 / 92	00	63000	—"—
11	—"—		2 / 93	00	76524	—"—
12	सीधी	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	8 / 90	00	43771	—"—
13	—"—	एस.बी.आई. 1262 / सीधी	5 / 91	28048	00	—"—
14	रायसेन	एस.बी.आई. 0462 / रायसेन	12 / 90	00	24129	—"—
15	जिला भोपाल	एस.बी.आई. 0332 / सुल्तानियां रोड	3 / 91	00	931065	—"—
16	होशंगाबाद	एस.बी.आई. 0383 / होशंगाबाद	3 / 91	00	133893	—"—
17	सतना	एस.बी.आई. 0474 / सतना	6 / 91	134404	00	—"—
		योग		1010492.30	1833246.23	

परिशिष्ट-6

(पैरा-2.24)

व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष पाया जाना

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	प्रशासक का नाम	राशि (-)
1	Agarmalwa	1	COLLECTOR SUPDT. SUB JAIL AGAR AGAR MALWA	126403789
2	Alirajpur	2	COLLECTORE AND DISTT ELECTION OFFICER ALIRAJPUR	29320
2	Anuppur	3	COLECTER & CHEIF CENSUS OFICER ANUPPUR COLECTER &CHEIF CENSUS OFICER ANUPPUR	7517178
		4	DIV. FOREST OFFICER ANUPPUR	4474869
		5	COLLECTOR AND AGRICULTURE AND FORMER WEL. ANUPPUR	3270923
		6	COLLECTOR AND DISTRICT ELECTION OFFICER ANUPPUR ANUPPUR	44819
4	Ashoknagar	7	COLLECTOR & CHIF JANGADNA OFFICER ASHOKNAGAR COLL. & CHIF JANGANDNA OFF. ASH	1678060
5	Badwani	8	EE PWD B&R BADWANI BADWANI	1849398281
		9	L A R O SARDAR SAROVAR PARI BARWANI L A R O SARDAR SAROVAR PARI BARWANI	329033130
		10	L A R O INDRA SAGAR PRI BAD BADWANI	214232718
		11	LA&SDO(R)BADWANI BADWANI	53485835
		12	COLLECTOR BADWANI BADWANI	36745570
		13	SUB DIV OFFICER L A R O R BADWANI SUB DIV OFFICER L A R O R BADWANI	3541763
		14	COLL. JANGANA OFF. BADWANI COLL. JANGANA OFF. BADWANI	182475
		15	L A R O SARDAR SAROVAR PARIY.THIKRI BADWANI	59082
		16	DISTT ELECTION BARWANI	7885
6	Balaghat	17	DIS. SMALL SAVING OFFICER BALAGHAT	523098
		18	COLLECTOR AND DISTT ELECTION OFFICER BALAGHAT	29934
7	Betul	19	DIV. FOREST OFFICER (NORTH) BETUL	92909867
		20	DY. DIR. FARMAR WEL. & AGRI. DEV. BETUL	16744230
		21	DIV. FOREST OFFICER (SOUTH) BETUL	3664439
		22	COLLECTOR CENSUS BETUL BETUL	1810518
		23	A.S.C.O BETUL	61200
		24	A . S. C. O. BHAINSADEHI	38100

		25	COLLECTOR ELECTION OFFICER BETUL BETUL	19718
8	Bhind	26	SDO & LAO LAHAR BHIND BHIND	10999910
		27	COLLECTOR & CHEIF CENSUS OFFICER BHI. COLLECTOR & CHEIF CENSUS OFFICER BHI.	5046461
		28	TEHSILDAR AND CHARGE CENSUS OFF. GRAMIND BHIND TEHSILDAR & CHARGE CENSUS OFF. GRAMIND BHI.	39467
9	Bhopal	29	DISST. JANGANDA OFFICER BHOPAL	646286
		30	DISTRICT ELECTION OFFICER BHOPAL BHOPAL	592008
		31	AGRICULTURE ENGINEER BHOPAL	139833
10	Burhanpur	32	S.D.O. AND L.A.O. NEPANAGER BURHANPUR S.D.O.AND L.A.O. NEPANAGER BURHANPUR	106221557
		33	COLLECTOR AND JILA ELECTION OFFICER BURHANPUR	120588
11	Chhatarpur	34	L.A.O. VIJABAR CHHARPUR L.A.O. VIJABAR CHA.	409772076
		35	S.D.O. AND L.A.O. CHHATARPUR CHHATARPUR	93798240
		36	LAND AQUITION OFFICER NOGAON CHHATARPUR CHHATARPUR	25513331
		37	COLLECTOR CENSUS 2011CHHATARPUR COLLECTOR CENSUS 2011 CHA.	24627664
		38	COLL. & SUB JAIL BIJAWAR CHHATARPUR	4258930
		39	ASSTT DIRECTOR FISHERIES TRAINING INSTITUTE CHA CHHATARPUR	1097326
		40	DISTT. FOOD. OFFICER CHHATARPUR	221835
		41	COLLECTOR AND SUPDT. SUB JAIL LAUNDI CHHATARPUR	60766
		42	COLLECTOR ELECTION CHHATARPUR CHHATARPUR	30000
		43	DIS. SMALL SAVING OFFICER CHHATARPUR	4000
12	Chhindwara	44	LAO NO.2 TEHSIL CHI. CHHINDWARA	83426040
		45	DFO WEST GEN, DIV. CHI. CHINDWARA	75901512
		46	LAND AQUISITION OFFICER PARASIA CHHINDWARA	35686198
		47	LAO JUNNARDEV CHHINDWARA CHHINDWARA	16776937
		48	DFO (EAST) FOREST DIV. CHI. CHHINDWARA	8172569
		49	COLL.& DISTT. CENSUS OFFICER CHHINDWARA	1631446
		50	ASST DIRECTION FISHERIES CHHINDWARA CHHINDWARA	277084
		51	ASSTT COMMISSIONOR T.D CHI	55002
		52	DISTT ELECTION OFFICER CHHINDWARA CHHINDWARA	36000

		53	DENIYANSON COLLEGE CHHINDWARA CHI	35896
13	Damoh	54	DISTT FISHRIES OFFICER DAMOH DAMOH	4
		55	COLLECTOR FOOD DAMOH	3080
14	Datia	56	COLL.JANGANA ADHIKARI DATIA COLL. JANGANA ADHIKARI DATIA	2071343
		57	COLL.,& DISTT. SMALL SAVING OFFICER DATIA	111178
		58	ASST. REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETY DATIA	104625
15	Dewas	59	COLLECTOR FOOD DEWAS	273740
		60	DIV. FOREST OFFICER DEWAS DEWAS	124950
		61	DIS. TREASURY OFFICER DEWAS	56250
		62	JILA NIRVACHAN ADIKARI DEWAS	12010
		63	ASSTT. SOIL CONSERVATION DEWAS ASSTT. SOIL CONSERVATION DEWAS	1200
16	Dhar	64	COLLECTOR L,A,O,D,M,I,C PROJECT DHAR	85543588
		65	DIV FOREST OFFICER DHAR DHAR	6969722
		66	LAO (REHABILITATION)MANAWAR DHAR	6535747
		67	PRINCIPAL ITI DHAR DHAR	5281383
		68	L.A.O. S.S.P. DHAMPUREE DISST. DHAR L.A.O. S.S.P. DHAMPUREE DISST. DHA	5087459
		69	COLL. & CHIF DISST. CENSUS OFF. DHAR COLL. & CHIF DISST CENSUS OFF. DHAR	1231053
17	Dindori	70	DY.DIR.AGRI. DINDORI	1676423
18	Guna	71	LAND AQUISITION OFFICER GUNA GUNA	88920893
		72	COLLECTOR(NIRASHRIT FUND) GUNA	7004444
		73	CENSUS OFICER GUNA CENSUS OFICER GUNA	544852
19	Gwalior	74	DISTT. PROGRAMME OFFICER GWALIOR GWALIOR	77800
		75	COLLECTOR AND DISST ELECTION GWALIOR GWALIOR	49444
		76	RENT CONTROLLING AUTHORITY GWL. GWALIOR	20036
		77	COLLECTOR FOOD GWALIOR COLLECTOR FOOD GWALIOR	318
20	Harda	78	D.F.O.PRODUCTION HARDA HARDA	226889283
		79	ASSTT.SOIL CONSERVATION OFF. SUB. DIV. HARDA ASSTT. SOIL CONSERVATION OFF. SUB. DIV. HARDA	833976
		80	DY. DIR. FARMER WEL. & AGRI.DEV. HARDA	172930
		81	COLLECTOR FOOD BRANCH HARDA	139733

21	Hoshangabad	82	ASSTT DIRECTOR HORTICULTURE HOSHANGABAD HOSHANGABAD	22047245
		83	CEO JANPAD PANCHYAT HOS. HOSHANGABAD	2604033
		84	DISTT. PLANNING OFFICER HOS. HOSHANGABAD	800000
		85	LAO HOSHANGABAD HOS	723691
		86	ASSTT. SOIL CONSERVATION OFICER HOS. ASSTT. SOIL CONSERVATION OFICER HOS.	721242
		87	COLECTOR ELECTION HBAD HOSHANGABAD	19728
		88	PRI. I.T.I. ITARSI HOSAGNABAD PRI. I.T.I. ITARSI HOSANGABAD	12500
		89	COLLECTOR (MINING) HOS. HOSHANGABAD	982
		90	LAO & SDO SOHAGPUR HOSHANGABAD	3242
22	Indore city	91	DIV.FOREST OFFICER INDORE INDORE	5614682
	Indore Distt.	92	DY.COMMISSIONER INDORE INDORE	11832690
		93	DY. DIRECTOR FARMER & AGRI. DEV. INDORE	1017393
		94	DISST. CENSUS OFFICER INDORE DISST. CENSUS OFICER IND.	632470
23	Jabalpur distt.	95	SDO. JABALPUR JABALPUR	64731520
		96	LAND AQUISITION OFFICER, SIHORA JABALPUR	5054997
		97	ASSTANT SOIL CONSORVATION OFFICER SUB DN ASSTANT SOIL CONSORVATION OFFICER SUB DN	840715
24	Jhabua	98	S.D.O. & L.A.O. JHABUA JHABUA	85616487
		99	COLL. & CHIF CENSUS OFFICER JHABUA OLL. & CHIF CENSUS OF. JHA.	12862813
		100	COLLECTOR ELECTION JHABUA JHA	2183786
25	Khargone	101	LAO MAHESHWAR JAL VIDYUT PARIYOJNA MANDLESH. KAR.	1115903343
		102	DIV. FOREST OFFICER(GEN) BADWAH KHARGONE	145025372
		103	LAO,APARBEDA PRO BHIKANGAON KAR KHARGONE	55817286
		104	DIV. FOREST OFFICER(GEN) KHARGONE KHARGONE	39255744
		105	S.D.O. & LAO(REVENUE) KASRAWAD KHARGONE	32502891
		106	S.D.O. REVENUE KHARGONE KHARGONE	30262950
		107	COMM. TRIBAL WEL. DEPTT. KHARGONE KHARGONE	5299067
		108	L.A.O. S.S.P.OMKARESWEW KHARONE	931625
		109	DIST. SMALL SAVING OFFICER KHARGONE KHARGONE	683341
		110	DY. DIR. FARMER WEL. AND AGRI. DEV. KHARGONE	159480

26	Katni	111	COLL. & CHIF CENSUS OFFICER KATNI COLL. & CHIF CENSUS OFFICER KAT.	2040731
27	Khandwa	112	COLL. & LAO KHANDWA KHANDWA	24176246
		113	DIST. TREASURY OFFICER KHANDWA	80000
		114	RENT CONTROLL OFFICER KHANDWA KHANDWA	53985
		115	DIV. FOREST OFFICER (GEN.)DIV.KHANDWA KHANDWA	22211
		116	DISTT ELECTION OFFICER KHANDWA KHANDWA	16549
		117	CHIEF CONSERVATER OF FOREST(ANUSHANDHAN VISTAR) KHANDWA	592
28	Mandla	118	COLLECTOR JANANDA OFFICER MANDLA COLLECTOR JANGANDA OFF. MAN	1020461
		119	COLLECTOR FOOD MANDLA COLLECTOR FOOD MANDLA	50000
		120	DISTRICT ELECTION OFFICER MANDA	25000
		121	ASST. DIRECTOR FISHERIES MANDLA MANDLA	116
29	Mandsaur	122	LAND ACQUISITION OFFICER MALHARGARH MANDSAUR	70528287
		123	SUPDT. SUB JAIL GAROTH MANDSAUR	1052635
		124	DIST. SMALL SAVING OFFICER MANDSAUR MANDSAUR	816199
		125	DISTT. SUPPLY OFFICER MANDSAUR	306899
		126	DIV. FOREST OFFICER MANDSAUR MANDSAUR	132000
		127	DISST. JANGANANA OFF. MANDSOOR DISST. JANGANANA OFF. MND	510
30	Morena	128	DIV. FOREST OFFICER MORENA MORENA	2467499
		129	DY. DIR. FARMER. WEL. MORENA	2356142
		130	DFO (SC) MORENA MORENA	878210
		131	DIS. SMALL SAVING OFFICER MORENA	257897
		132	COLLECTOR FOOD BRANCH MORENA	10384
		133	DISST ELECTION OFFICER MORENA MORENA	6000
		134	COLLECTOR (NIRASHRIT NIDHI) MORENA MORENA	3200
31	Narsinghpur	135	SUPDT. SUB JAIL N'PUR NARSINGHPUR	4696767
		136	DIST. TREASURY OFFICER N'PUR NARSINGHPUR	1475233
		137	COLL. SMALL SAVING N'PUR NARSINGHPUR	1102145
		138	SUPDT. DISS. JAIL CLASS 1 NAR SUPDT. DISS. JAIL CLASS 1 NAR	961546
		139	MUKHYA KARYA PALAK ADHI.GOTEGAON NARSINGHPUR	152123

		140	SUPDT. I.T.I. GOTEGAON NARSINGPUR SUPDT. I.T.I. GOTEGAON NAR.	123304
		141	DISTRICT ELECTION OFFICER NARSINGHPUR NARSINGHPUR	21638
32	Neemuch	142	COLLECTER L A O NEEMUCH COLLECTER L A O NEEMUCH	12017155
		143	DISTRICT ELECTION OFFICER NEEMUCH NEEMUCH	14980
33	Panna	144	DIV. FOREST OFFICER NORTH DIV. PANNA PANNA	2420210
		145	COLLECTOR & SUPDT.SUB JAIL PANNA PANNA	175632
		146	TREASURY OFFICER PANNA PANNA	100274
34	Rajgarh	147	DY.DIR. FARMAR WEL. & AGRI. DEV. RAJGARH	3815000
		148	JILA ELECTION OFFICER RAJGARH RAJGARH	45000
35	Ratlam	149	D.F.O. GENRAL RATLAM RATLAM	21423540
		150	CHAIRMAN JAN CHETANA PARISAR RATLAM RATLAM	98053
		151	COMMISSIONER LABOUR COURT RATLAM RATLAM	68695
		152	COLLECTOR VIKAS YOJNA RATLAM RATLAM	17050
		153	DIST. TREASURY OFFICER RATLAM RATLAM	3000
36	Raisen	154	S.D.O.GOHARGANJ RAISEN	148266662
		155	A D FISHRIES RAISEN RAISEN	10797000
		156	COLLECTOR JANGANDA RAISEN COLLECTOR JANAGNDA RIS.	3766430
		157	DY.DIR. AGRI. RAISEN	3578205
		158	FOOD OFFICER RAISEN	450000
		159	SDO AND LAND EQUATION RAISEN RAISEN	205723
		160	DISTRICT ELECTION OFFICER RAISEN RAISEN	20000
		161	SUPERINTEN SUB JAIL GOHARGANJ RIS RIS	15844
37	Sagar	162	COLLECTOR, LAND AQUISITION SAGAR SAGAR	37363303
		163	DISTRICT ELECTION OFFICER SAGER SAGER	40000
		164	ASS. LABOUR COMM. SAGAR SAGAR	34422
	Shajapur	165	DISTT. LAND ACQUISITION OFFICER SHAJAPUR SHAJAPUR	252398206
		166	ASSTT. SOIL CONSERVATION OFFICER SHAJARUR SHAJAPUR	770000
		167	P.O. , I.C.D.S. NALKHEDA SHAJAPUR	108010
38	Satna	168	DIV. FOREST OFFICER SATNA SATNA	7239128
		169	COLL. & CHIF CENSUS OFF. SATNA COLL. & CHIF	1234850

			CENSUS OFF. SATNA	
		170	DIS. SMALL SAVING OFFICER SATNA	303174
		171	COLLECTOR EVAM JILA NIRVACHAN ADHIKARI SATNA SATNA	40080
		172	AAE(MTSS) SATNA	2325
39	Sehore	173	S.D.O.NASRULAGANJ SEHORE	129247119
		174	SUPDT SUB JAIL N-GANG SEHORE	6699853
		175	ASSTT. SOIL CONSERVATION SEHORE	340500
		176	WOMEN POLYTECHNIC SESHORE	1350
40	Seoni	177	DFO (T)NORTH SEONI SEONI	6745041
		178	DISTT. JANGARNA ADHI. SEONI DISTT. JANGARNA ADHI. SEONI	1868399
		179	SDO LAND AQUISITION OFFICER KEOLARI SEONI SEONI	517290
		180	SUPDT. ITI GHANSAUR SEONI	77945
41	Shadol	181	COLLECTOR SHAHDOL SHAHDOL	32472268
		182	LAO SHAHDOL SHAHDOL	14615880
		183	DFO SOUTH SHAHDOL SHAHDOL	14133933
		184	DIS. SMALL SAVING OFFICER SHAHDOLE	500956
		185	DISTRICT TREASURY OFFICER SHAHDOLE	50000
		186	DISTRICT ELECTION OFFICER SHAHDOL SHAHDOL	15000
42	Sheopur	187	COLLECTER JANGANANA SHEOPUR COLLECTER JANGANANA SHEOPUR	1777653
		188	COLLECTOR DISTT ELECTION OFFICER SHEOPUR SHEOPUR	19500
		189	ASST. COLLECTOR TRIBAL VIKAS SHEOPUR ASST. COLL. TRIBAL VIKAS SHE.	100
		190	COLLECTOR FOOD BRANCH SHEOPUR	1698
43	Shivpuri	191	COLLECTOR SHIVPURI SHIVPURI	21091922
		192	DY.DIR. FARMAR WEL.AND AGRI.DEV. SHIVPURI	1163891
44	Sidhi	193	DIV. FOREST OFFICER(EAST)SIDHI SIDHI	50780147
		194	COLLECTOR FOOD BRANCH SIDHI	3764593
		195	UP SANCHALAK PANCHAYAT SIDHI SIDHI	748040
		196	COLLECTOR, ELECTION SIDHI SIDHI	63227
45	Singrauli	197	D.F.O SINGRAULI D.F.O SINGRAULI	4116024
		198	D.D.F.W. AND A.D. SINGRAULI	2662451
		199	COLLECTOR JANGANA OFF. SINGRAULI	15000

			COLLECTOR JANGANA OFF. SNG.	
		200	PRINCIPAL GOVT GIRLS COLLAGE WAIDHAN SINGRAULI	1826
46	Tikamgarh	201	D.O.T.W.TIKAMGARH TIKAMGARH	1647038
		202	C.E.O. JILA PANCHAYAT TIK. TIKAMGARH	79289
47	Ujjain	203	DY. DIR. AGRI. UJJAIN	1998100
		204	DFO UJJAIN UJJAIN	1165999
		205	DIST. SMALL SAVING OFFCER UJJAIN UJJAIN	627662
48	Umaria	206	COLLECTOR JANGANANA OFF. UMARIA COLL. JANGANANA OFF. UMA	3817607
		207	DIV. FOREST OFFICER UMARIA UMARIA	1440317
		208	DIST. SMALL SAVING OFFICER UMARIA UMARIA	87692
		209	TREASURY OFFICER UMARIA UMARIA	26656
		210	DISTT ELECTION OFFICER GENERAL UMARIA UMARIA	9912
49	Vallabh bhawan	211	ASS. ENG. NARMADA VALLEY DEV. AUTHORITY BPL BHOPAL	1641054326
		212	COMM.TRIBAL DEV.,BPL BHOPAL	204465602
		213	DIR. MEDICAL EDUCATION BPL VALLABH BHAWAN	143385617
		214	DIR, HIGHER EDU. & YOGA PRACHAR SAMITI VALLABH BHAWAN	9695044
		215	INSPECTOR GENERAL ,REGISTRATION BPL BHOPAL	5488800
		216	JOINT DIRECTOR (ADM)MP FORESTY PROJ BPL VALLABH BHAVAN	4347439
		217	DIR. PUBLIC HEALTH & FAMILY WEL. VALLABH BHAWAN	3612514
		218	DIRECTOR, TECHNICAL EDUCATION VALLABH BHAWAN	342491
		219	C F STATE PROJECT C O ORD N R C O THE PRO AREA C F STATE PROJECT C O N R C O THE PRO AREA	183087
50	Vidisha	220	LAND AQUISITION OFFICER SIRONJ VIDISHA	73571239
		221	ASST. L.A.O SIRONJ VIDISHA	9715399
		222	LAO SHAMSHHABAD VIDISHA VID	9487245
		223	LAND AQUISITION OFFICER LATERI VIDISHA	6053101
		224	S.D.O. LAND RECORD VIDISHA VIDISHA	1476885
		225	DISTRICT ELECTION OFFICER VIDISHA VIDISHA	25000
51	Vindhyachal bhawan	226	MD MP TRADE AND INVESTMENT FACILITATION BHOPAL VIN	3329396520

		227	COMMISSIONER PANCHAYAT RAJ BHOPAL VIN	1867126453
		228	COMM. HANDLOOM VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	29789652
		229	DIRECTOR HANDLOOM VINDHYACHAL	4337275
		230	DIR. ARCHEOLOGY & MUSIUM VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	149534
		231	DIR. PENSION OFFICE BHOPAL BHOPAL	148365
		232	DIRECTOR TREASURY & ACCOUNTS VIN. VINDHYACHAL BHAWAN	111467
		233	COMMISSONER RESHAM VINDHYACHAL BHAVAN BHOPAL VINDHYACHAL	19974
		234	A.O. DEV. COMM. M.P. BPL BHOPAL	1800
	योग			14004037709

परिशिष्ट-7

(पैरा-2.25)

कोषालयों द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों के मासिक धन ऋण पत्रक प्रधान महालेखाकार कार्यालय को न भेजा जाना

स.क.	माह जिनमें धनऋण पत्रक अप्राप्त हैं।	कोषालयों का नाम
1	04 / 2018	सीधी, रीवा, खण्डवा
2	05 / 2018	दमोह, डिण्डौरी, गुना, मुरैना, रायसेन, राजगढ़ टीकमगढ़, विध्याचल
3	06 / 2018	बुरहानपुर देवास, जबलपुर, नरसिंहपुर, राजगढ़
4	07 / 2018	छतरपुर, खरगोन, धार, रतलाम, रीवा
5	08 / 2018	बैतूल, गुना, जबलपुर, मंदसौर, राजगढ़ सिवनी, हरदा रतलाम
6	09 / 2018	इन्दौर, रतलाम, सागर, शाजापुर, विध्याचल मोतीमहल, अशोकनगर
7	10 / 2018	डिण्डौरी, रीवा, नरसिंहपुर, मुरैना खरगोन हरदा
8	11 / 2018	जबलपुर, शाजापुर, विध्याचल, खरगोन, हरदा
9	12 / 2018	धार, जबलपुर, सतना, सीधी
10	01 / 2018	बालाघाट, दमोह, धार, इन्दौर, इन्दौर सिटी, विध्याचल, जबलपुर, खरगोन सतना, सीहोर, शिवपुरी
11	02 / 2018	वल्लभ भवन, टीकमगढ़, शिवपुरी, शहडोल, रीवा, देवास, धार, डिण्डौरी, गुना, नरसिंहपुर, शाजापुर, छतरपुर, मण्डला, रीवा, सतना, रायसेन, सागर, सतना, धार, जबलपुर सिटी, टीकमगढ़, आगर सतना
12	03 / 2018	शिवपुरी, सीहोर, धार, सागर, सिंगरौली विध्याचल इन्दौर मैन

परिशिष्ट-8

(पैरा-2.26)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों के अवशेषों का अंकमिलान किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय का नाम
1	कटनी	14	मोतीमहल
2	मंदसौर	15	मुरैना
3	नीमच	16	बड़वानी
4	विदिशा	17	बालाघाट
5	देवास	18	बुरहानपुर
6	रीवा	19	अलीराजपुर
7	उज्जैन	20	विध्याचल भवन
8	हरदा	21	रतलाम
9	नरसिंहपुर	22	डिण्डौरी
10	वल्लभ भवन	23	सीहोर
11	भिण्ड	24	शाजापुर
12	ग्वालियर	25	भोपाल
13	गुना	26	शहडोल

परिशिष्ट संख्या-9

(पैरा-3.2.1)

निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होना अथवा विलंब से प्राप्त होने का विवरण

स.क.	कोषालय	निरीक्षण अवधि	निरी.प्रति.जारी दिनांक	पालन प्रति. प्राप्ति दिनांक	विलम्ब/रिमार्क
1	दमोह	6/16 से 3/18	16.5.2018	12.10.2018	3 माह 20 दिन
2	नरसिंहपुर	8/16 से 3/18	17.5.2018	29.10.2018	4 माह 05 दिन
3	शिवपुरी	5/16 से 3/18	04.6.2018	अप्राप्त	—
4	अलीराजपुर	7/16 से 3/18	07.6.2018	—	—
5	उमरिया	6/16 से 4/18	08.6.2018	—	—
6	खरगौन	1/17 से 4/18	29.6.2018	—	—
7	जबलपुर जिला	6/17 से 4/18	12.7.2018	28.09.2018	1 माह 10 दिन
8	जबलपुर सिटी	6/17 से 5/18	25.7.2018	02.1.2019	5 माह
9	सतना	6/16 से 5/18	26.7.2018	अप्राप्त	—
10	इंदौर जिला	5/16 से 6/18	29.8.2018	—	—
11	राजगढ़	7/17 से 6/18	29.8.2018	—	—
12	बालाघाट	1/17 से 6/18	10.9.2018	16.11.2018	20 दिन
13	सिंगरौली	12/16 से 7/18	19.9.2018	16.01.2019	2 माह 22 दिन
14	मुरैना	9/16 से 8/18	16.10.2018	अप्राप्त	—
15	उज्जैन	4/17 से 8/18	15.11.2018	—	—
16	मण्डला	8/16 से 8/18	16.11.2018	23.01.2019	1 माह
17	रीवा	10/17 से 9/18	16.11.2018	अप्राप्त	—
18	रतलाम	4/16 से 9/18	16.11.2018	—	—
19	मोतीमहल	10/17 से 11/18	17.1.2019	—	—
20	ग्वालियर	10/17 से 11/18	01.2.2019	—	—
21	वल्लभ भवन	11/17 से 11/18	31.1.2019	—	—
22	विन्ध्याचल भवन	11/17 से 11/18	25.1.2019	—	—
23	भिण्ड	9/16 से 12/18	07.3.2019	—	—
24	धार	1/18 से 12/18	11.2.2019	—	—
25	देवास	11/16 से 12/18	07.3.2019	—	—
26	इंदौर सिटी	7/17 से 6/18	20.8.2018	23.04.2019	6 माह 26 दिन
27	छिन्दवाड़ा	2/18 से 1/19	11.3.2019	अप्राप्त	—
28	सीहोर	11/16 से 1/19	02.4.2019	—	—
29	आगरमालवा	10/16 से 2/19	01.402019	—	—
30	सागर	10/17 से 2/19	10.5.2019	—	—
31	बड़वानी	1/17 से 2/19	23.4.2019	—	—
32	बैतूल	11/16 से 7/18	10.10.2018	03.04.2019	4 माह 16 दिन
33	विदिशा	1/17 से 2/19	03.5.2019	अप्राप्त	—

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा-3.3.1 - i)

तीन वर्ष से अधिक समय से अनाहारित पेंशन प्रकरण

कोषालय	पेंशनर का नाम	पी.पी.ओ. क्रमांक	जारी दिनांक
नरसिंहपुर	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	डी.पी.ओ.1426010223	10.7.2014
	श्री देवेन्द्र कुमार स्वामी	डी.पी.ओ.1526010038	24.2.2015
	स्व. श्री बेनीसिंह	पी.ओ.535010373	31.6.2005
	स्व. श्रीमती माया आस्टिन लुईस	डी.पी.ओ.1226010130	27.6.2012
	श्री पी.एस. ठाकुर	डी.पी.ओ.1226010137	29.6.2012

परिशिष्ट संख्या-11

(पैरा - 3.3.1 -ii)

एक वर्ष से अधिक समय से अनाहारित पेंशन उपदान प्रकरण

कोषालय का नाम	पेंशनर का नाम	जी.पी.ओ./पी.पी.ओ.	जारी दिनांक
रतलाम	श्रीमती मंजू सिंह	17 / 310 / DPO / 161	03.7.2017
	डॉ० धन्नलाल राठौर	15 / 310 / DPO / 262	—”—
आगरमालवा	श्रीमती राधेश्याम शर्मा	ए.यू.आर.75 / 00027	—
ग्वालियर	इन्द्रभान सिंह	डी.पी.ओ.बी.पी.एल. 16050776	07.6.2016
	श्रीमती विनय दीखत	17 / 25 / 02 / 0340	21.11.2017
	महेन्द्र कुमार वरदा	डी.पी.ओ. / 1616010409	11.11.2016
	गंधर्व सिंह गुर्जर	डी.पी.ओ.1576010164	21.7.2015
	हेमराज सिंह धाकड स्व श्रीमती उषा सेंगर	16 / 40 / 02 / 0025	03.6.2016
	राम नारायण भार्मा	1224020081	10.8.2017
	अमर सिंह त्यागी	डी.पी.ओ. / 1728013	19.7.2017
	बैचू सिंह श्रीवास्तव	140560396	26.5.2014
	गोविंद स्वरूप श्रीवास्तव	130501547	26.12.2013
	श्री खेमचन्द	जी.पी.ओ.नं.11 / 14 / 01 / 0140	—
सुश्री बरखा तिवारी	1205020010	—	

परिशिष्ट संख्या-12

(पैरा-3.3.2-i)

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.05 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन में अनियमिततायें

स.क्र.	कोषालय का नाम	कर्मचारियों के वेतन से कटौती से प्राप्त अंशदान	कोषालय द्वारा जमा शासन का समतुल्य अंशदान	शासन का शेष समतुल्य अंशदान
1	शिवपुरी	276691863	134194375	131645865
2	ग्वालियर	847792609	604388672	243403937
	योग	1124484472	738583047	375049802

परिशिष्ट संख्या-13

(पैरा-3.3.2-ii)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा परिवार पेंशन प्रकरणों में निर्धारित अवधि के पश्चात भी उच्च दर पर भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	पूर्व लंबित शेष राशि राशि रु.	निरीक्षण वर्ष 2018-19 की अधिक भुगतान की स्थिति		वसूली हेतु लंबित प्रगामी राशि रु.
			प्रकरण	राशि रु.	
1	नरसिंहपुर	1621628	01	207562	1829190
2	उमरिया	50720	01	171646	222366
3	जबलपुर जिला	2104458	01	18163	2122621
4	राजगढ़	868938	02	252870	1121808
5	बालाघाट	23074	03	382004	405078
6	देवास	200802	02	837111	1037913
7	सीहोर	205489	01	101255	306744
8	सागर	00	01	71951	71951
9	बड़वानी	00	01	363067	363067
10	बैतूल	725536	02	754796	1480332
11	विदिशा	245739	02	680900	926639
	योग	6046384	17	3841325	9887709

परिशिष्ट संख्या-14

(पैरा- 3.3.3-i)

दिनांक 01.01.2006 के पश्चात सेवानिवृत्ति पेंशनर/परिवार पेंशनर को न्यूनतम पेंशन राशि
रु. 3025 न देने बावत्

स.क.	कोषालय	पेंशनरों की संख्या
1	नरसिंहपुर	23
2	शिवपुरी	09
3	खरगौन	04
4	जबलपुर जिला	04
5	सतना	09
6	इंदौर जिला	80
7	राजगढ़	03
8	बालाघाट	04
9	मुरैना	01
10	मण्डला	13
11	रतलाम	10
12	बैतूल	01
	योग	161

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा- 3.3.3-ii)

दिनांक 01.01.2016 के पश्चात सेवानिवृत्ति पेंशनर/परिवार पेंशनर को न्यूनतम पेंशन राशि
रु. 7750 न देने बावत्

स.क.	कोषालय	पेंशनरों की संख्या
1	भिण्ड	19
2	छिन्दवाड़ा	58
3	सीहोर	02
4	सागर	14
5	बड़वानी	25
	योग	118

परिशिष्ट संख्या-16

(पैरा- 3.4)

सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की
समयावधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि ₹
1	दमोह	04	1482974
2	नरसिंहपुर	02	243096
3	शिवपुरी	30	16374805
4	उमरिया	03	412954
5	खरगौन	08	1876708
6	सतना	01	433603
7	राजगढ़	05	2423312
8	बालाघाट	09	2866221
9	सिंगरौली	01	690216
10	मुरैना	11	4314890
11	उज्जैन	14	8185272
12	मण्डला	13	3719758
13	रीवा	10	4773773
14	रतलाम	06	1483680
15	वल्लभ भवन	21	7862666
16	विन्ध्याचल भवन	12	3465447
17	भिण्ड	06	1471782
18	धार	04	1948487
19	देवास	10	2268459
20	छिन्दवाड़ा	03	1657422
21	सागर	03	1853304
22	बड़वानी	02	303496
23	बैतूल	14	3457444
24	विदिशा	07	2558034
	योग	199	76127803

परिशिष्ट संख्या-17

(पैरा- 3.5.1)

विभागीय प्राप्ति एवं भुगतानों का सत्यापन कोषालयीन अभिलेख से न किया जाना

स. क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	चालान से जमा राशि का पुष्टि न किया जाना	कोषालय से आहरित राशि का प्रमाणीकरण न किया जाना
1	नरसिंहपुर	नहीं किया जा रहा है	नहीं किया जा रहा है
2	शिवपुरी	—”—	—”—
3	जबलपुर जिला	—”—	—”—
4	सतना	—”—	—”—
5	जबलपुर सिटी	—”—	—”—
6	बालाघाट	—”—	—”—
7	सिंगरौली	—”—	—”—
8	मुरैना	—”—	—”—
9	उज्जैन	—”—	—”—
10	रीवा	—”—	—”—
11	ग्वालियर	—”—	—”—
12	देवास	—”—	—”—
13	सीहोर	—”—	—”—
14	आगरमालवा	—”—	—”—
15	बड़वानी	—”—	—”—
16	विदिशा	—”—	—”—

परिशिष्ट -18

(पैरा-3.5.2)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	दमोह	13	मुरैना
2	नरसिंहपुर	14	मण्डला
3	शिवपुरी	15	रीवा
4	अलीराजपुर	16	रतलाम
5	उमरिया	17	विन्ध्याचल भवन
6	खरगौन	18	देवास
7	जबलपुर जिला	19	छिन्दवाड़ा
8	सतना	20	सीहोर
9	जबलपुर सिटी	21	आगरमालवा
10	राजगढ़	22	बड़वानी
11	बालाघाट	23	बैतूल
12	सिंगरौली	24	विदिशा

परिशिष्ट संख्या-19
(पैरा -3.5.3)

वन तथा निर्माण प्रेषणों का प्रमाणीकरण न किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम
1	शिवपुरी
2	जबलपुर सिटी
3	रीवा
4	रतलाम
5	सीहोर
6	आगरमालवा

परिशिष्ट संख्या-20
(पैरा-3.6.1)

तीन वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व/प्रतिभूति/अन्य जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि	स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि
1	दमोह	17340	14	रतलाम	1348880
2	नरसिंहपुर	2743017	15	मोतीमहल	513185518
3	शिवपुरी	982033	16	ग्वालियर	1789258
4	अलीराजपुर	4315544	17	वल्लभ भवन	1750944
5	उमरिया	47800	18	विन्ध्याचल भवन	84675054
6	खरगौन	738947	19	धार	8248216
7	सतना	95647	20	देवास	6890618
8	इंदौर जिला	38460981	21	छिन्दवाड़ा	10872358
9	जबलपुर सिटी	49895140	22	आगरमालवा	1425
10	राजगढ़	827425	23	सागर	9944229
11	बालाघाट	2014523	24	बड़वानी	8644670
12	मण्डला	2284277	25	बैतूल	28903066
13	रीवा	520265	26	विदिशा	4877263
	योग				784074438

परिशिष्ट संख्या-21

(पैरा- 3.6.2-i)

वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक से अधिक व्यक्तिगत जमा खातों का खोला जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खाताधारकों का नाम	कुल खातों की संख्या		
1	शिवपुरी	कलेक्टर शिवपुरी	03		
		भूअर्जन अधिकारी शिवपुरी	04		
		डी.एफ.ओ. शिवपुरी	05		
		अधीक्षक जिला जेल शिवपुरी	03		
		स्माल सर्विंग ऑफिसर शिवपुरी	02		
		डी. ओ.टी.डब्ल्यू. शिवपुरी	03		
		अधीक्षक उपजेल करैरा	02		
		अधीक्षक उपजेल पिछोर	06		
		प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज शिवपुरी	05		
		प्रिंसिपल आई.टी.आई. शिवपुरी	05		
		प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज पिछोर	05		
		2	खरगौन	ए0ए0सी0ओ0 खरगोन	02
				भू-अर्जन पूनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना खरगोन	02
भू अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगाँव खरगोन	02				
भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बडवाह	03				
भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडवाह	03				
प्राचार्य बालक शासकीय कालेज खरगोन	08				
प्राचार्य शास. कन्या महाविद्यालय खरगोन	02				
प्राचार्य आई टी आई खरगोन	05				
प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वाह	02				
प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कसरावद	02				
कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, खरगोन	02				
3	उज्जैन			Collector land requisition Ujjain	02
		BHARA NIYANTRAN OFFICER, UJJAIN	02		
		LAND REVENUE OFFICER, KHACHROD	02		
		PR GOVT ENGG COLLEGE, UJJAIN	02		
		PR GOVT I T I BARNAGAR	02		
		Principal Govt Vikram College, Khachrod	03		
		principal govt i t i khachrod	02		
		TR SUPDT GOVT I T I, MAHIDPUR	02		
4	ग्वालियर	Rent controlling officer gwa.	02		

		Regioanal liabrarian central liabrary gwa.	02
		Collector land acquisition gwa.	03
		Pri. Govt. KRG College Gwalior	02
		Pri. Govt. MLB College Gwalior	02
		Pri. Govt. Arts & Commerce College Mohana (18)	02
		Pri. Polytechnic College Dabra	02
		Pri. Govt. V.S. College Dabra	02
5	सागर	JOINT DIRECTOR VETINERY SERVICE SAGAR	04
		PRI HARI SINGH GOUR COLLEGE	02
		PRI ADARSH MUSIC COLLEGE	03
		PRI ITI SAGAR	02
		ASSIS. LABOUR COMMIS.	02
		COLLECT. LAND RECORD SAGAR	03
		DFO SOUTH SAGAR	07
		DFO NORTH SAGAR	03
		COLL. AND SP SAGAR	05
		COLL LAND ACQUIS.SAGAR	02
		COLL JANGARNA ADHI SAGAR	03
6	विदिशा	डी.एफ.ओ. विदिशा	02

परिशिष्ट संख्या-22

(पैरा- 3.6.2-ii)

वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत जमा खातों का खोलना तथा संचालन किया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खाताधारकों का नाम
1	खरगोन	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी खरगोन
		अधीक्षक उपजेल खरगोन
		एस0डी0ओ0 राजस्व भूअर्जन अधिकारी खरगोन
		जिला अल्पबचत अधिकारी खरगोन
		जिला कोषालय अधिकारी खरगोन
		भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परि. भीकनगांव
		एल0ए0ओ0 महेश्वर जल विद्युत परि. मण्डलेश्वर
		भूअर्जन अधिकारी स.स.प.खरगोन इंदिरा सागर परि.नहरे
		भूअर्जन अधिकारी स.स.प.खरगोन ओंकारेश्वर परि.नहरे
		डिप्टी डायरेक्टर फार्मर वेल. एवं एग्री. डेवल. खरगोन

		कलेक्टर एवं जिला मतदान अधिकारी खरगोन
		असि.डायरे. फिशरीज खरगोन
		भूअर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर परि. बड़वाह
		भूअर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय और राजस्व बड़वाह
		कलेक्टर सुप्री. उपजेल बड़वाह
		भूअर्जन अधिकारी राजस्व एवं भूअर्जन अधि.भीकनगांव
		तहसीलदार एवं जनगणना अधिकारी भीकनगांव
		भूअर्जन अधिकारी कसरावद
		उपजेल कसरावद
		सीनियर उपजेल सुप्री. महेश्वर
		आई0टी0आई0 करही
		सुप्री0 उपजेल मण्डलेश्वर
		एस0डी0ओ0 राजस्व मण्डलेश्वर
		कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी खरगोन
2	आगरमालवा	उपजेल सुसनेर
		कॉलेज सुसनेर
		कॉलेज नलखेडा
		कलेक्टर एवं जिला अधिकारी आगरमालवा
		कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी आगरमालवा

परिशिष्ट संख्या-23

(पैरा-3.6.3)

तीन वर्षों से अधिक समय से निष्प्रभावी व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा की राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषालय का नाम	मद संख्या	राशि रु.
1	दमोह	03	3587270
2	नरसिंहपुर	10	1763678
3	शिवपुरी	28	418848947
4	अलीराजपुर	02	283290
5	उमरिया	05	218508
6	खरगौन	15	91079794
7	जबलपुर जिला	06	307782
8	जबलपुर सिटी	02	10669152
9	राजगढ़	01	94283
10	बालाघाट	06	1863945
11	मुरैना	13	12764905
12	उज्जैन	04	3824788
13	रतलाम	12	2196759
14	मोतीमहल	09	4196374
15	ग्वालियर	12	2091273
16	वल्लभ भवन	10	120298726
17	भिण्ड	37	323346856
18	धार	02	370095
19	इंदौर सिटी	05	10276268
20	सीहोर	03	262199
21	सागर	26	12422276
22	बड़वानी	06	20810701
23	बैतूल	34	7345319
24	विदिशा	01	50068
	योग	252	1048973256

परिशिष्ट संख्या-24

(पैरा-3.6.4)

व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना

क्रं.	कोषालय का नाम	खाता धारकों की संख्या	प्राप्त किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या	लम्बित प्रमाण पत्रों की संख्या	क्रं.	कोषालय का नाम	खाता धारकों की संख्या	प्राप्त किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या	लम्बित प्रमाण पत्रों की संख्या
1.	अलीराजपुर	06	05	01	29.	मण्डला	14	—	14
2.	अनूपपुर	10	—	10	30.	मन्दसौर	15	—	15
3.	अशोकनगर	04	02	02	31.	मुरैना	16	—	16
4.	बड़वानी	26	—	—	32.	मोतीमहल	06	06	
5.	बालाघाट	16	—	—	33.	नरसिंहपुर	19	—	19
6.	बैतूल	22	02	20	34.	नीमच	14	14	
7.	भिण्ड	14	—	—	35.	पन्ना	13	07	06
8.	भोपाल	16	—	—	36.	रायसेन	31	—	31
9.	बुरहानपुर	10	04	06	37.	राजगढ़	11	—	11
10.	छतरपुर	24	01	23	38.	रतलाम	23	03	20
11.	छिंदवाडा	34	12	22	39.	रीवा	08	—	08
12.	दमोह	11	01	10	40.	सागर	25	25	—
13.	दतिया	17	—	17	41.	सतना	17	08	09
14.	देवास	13	—	13	42.	सीहोर	17	—	—
15.	धार	20	17	03	43.	सिवनी	20	05	15
16.	डिण्डोरी	09	04	05	44.	शहडोल	15	—	—
17.	गुना	10	05	05	45.	शाजापुर	18	10	08
18.	ग्वालियर	13	02	11	46.	श्यामपुर	11	—	11
19.	हरदा	13	—	13	47.	शिवपुरी	15	09	06
20.	होशंगाबाद	23	—	23	48.	सिंगरौली	09	—	09
21.	इन्दौर मैदान	12	09	03	49.	सीधी	13	—	13
22.	इन्दौर सिटी	24	—	24	50.	टीकमगढ़	11	—	11
23.	जबलपुर मैदान	15	—	15	51.	उज्जैन	14	10	04
24.	जबलपुर सिटी	08	—	08	52.	उमरिया	11	—	11
25.	झाबुआ	15	—	15	53.	विदिशा	22	22	—
26.	कटनी	13	—	13	54.	वल्लभ भवन	26	12	26
27.	खण्डवा	15	—	15	55.	विध्याचल भवन	24	12	12
28.	खरगोन	25	—	25	56.	आगर मालवा	04	—	04
	कुल	438	64	302		कुल	442	143	279
						कुल योग	880	207	581

परिशिष्ट -25

(पैरा-3.6.5)

राजस्व जमा पंजी में प्रत्येक तिमाही के अंतराल में जांच किये जाने का प्रमाण पत्र अंकित नहीं पाया जाना

स.क्र.	कोषालय	स.क्र.	कोषालय
1	शिवपुरी	8	बालाघाट
2	अलीराजपुर	9	सिंगरौली
3	उमरिया	10	रीवा
4	खरगौन	11	भिण्ड
5	जबलपुर जिला	12	आगरमालवा
6	जबलपुर सिटी	13	सागर
7	राजगढ़	14	बड़वानी

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.6.6)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख, कोषालयीन अभिलेख एवं घणत्रण पत्रक में अंतर

स. क्र.	कोषा. / उपकोषा. का नाम	न्यायालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	कोषालयीन अभिलेख के अनुसार शेष	कम्प्यूटर/घणत्रण पत्रक अनुसार शेष
1	दमोह	00	2142535	9008357
2	नरसिंहपुर	00	11684966	15561466
3	शिवपुरी	00	15993035	18375283
4	अलीराजपुर	00	1654034	1580701
5	उमरिया	00	1684856	2143418
6	खरगौन	4378121	3543583	5784609
7	जबलपुर जिला	00	00	167628582
8	इंदौर जिला	00	11210987	377933761
9	राजगढ़	00	00	11787603
10	बालाघाट	00	4869546	5867397
11	मुरैना	00	11463975	11313462
12	मण्डला	3832912	00	5602995
13	रीवा	00	12884005	15834518
14	रतलाम	00	339926	139901934
15	ग्वालियर	00	72595865	78395883
16	भिण्ड	00	5351118	26582442

17	देवास	00	47941221	58208817
18	इंदौर सिटी	50367711	00	215090891
19	छिन्दवाड़ा	00	145122533	24580943
20	सीहोर	00	12915503	14249881
21	आगरमालवा	00	00	5248552
22	सागर	4629630	11158265	5341718
23	बड़वानी	00	22080465	22969054
24	बैतूल	1889216	11080542	11080542
25	विदिशा	00	11203680	11034790
	योग	65097590	416920640	1261107599

परिशिष्ट संख्या-27

(पैरा- 3.6.7)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों के धन ऋण पत्रक अनुसार शेष एवं पुस्तक शेष/प्रशासक से प्राप्त वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेषों में अंतर पाया जाना

स. क.	कोषा./उपकोषा.	कोषालयीन अभिलेख/धन ऋण पत्रक अनुसार शेष	प्रशासक के प्रमाण पत्र अनुसार शेष/पुस्तक शेष अनुसार
1	राजगढ़	4929	361528
2	रतलाम	527711945	449862678
3	ग्वालियर	315424081	498602774
4	धार	1006712	1005926
5	देवास	78283058	71530351
6	इंदौर सिटी	86621553	24536478
7	छिन्दवाड़ा	32257419	34694120
8	बड़वानी	26688870	9672680
9	बैतूल	3655126	3310277
	योग	1071653693	1093576812

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.6.8)

वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-00-800 के अंतर्गत किये गये अनाधिकृत लेन देन

स. क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि जमा किया जाना	राशि आहरित किया जाना
1	शिवपुरी	8083950	—
2	खरगौन	(-)25000	—
3	सिंगरौली	500	—
4	मण्डला	197524	—
5	रतलाम	234260	—
6	मोतीमहल	4000	—
7	भिण्ड	(-)500	—
8	आगरमालवा	348100	—
9	सागर	16938	—
	योग	8859772	

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.6.9)

प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा कोषालय में संधारित पी.डी./ई.डी. खातों के शेषों में अंतर पाया जाना

स.क्र.	कोषालय का नाम	प्र.म.ले.कार्यालय अनुसार शेष	कोषालय अनुसार शेष
1	दमोह	1078462500	881462849
2	नरसिंहपुर	381517924	261223570
3	अलीराजपुर	5656815	6094403
4	उमरिया	178891251	141908303
5	खरगौन	(-)39804847	635107927
6	जबलपुर जिला	102356219	695751495
7	जबलपुर सिटी	135638720	130519273
8	राजगढ़	7205877978	9171948717
9	बालाघाट	369044221	441851260
10	सिंगरौली	4538451496	4542191784
11	मुरैना	990525618	1545908091
12	उज्जैन	191300300	307038479
13	रतलाम	430953805	556030513
14	ग्वालियर	235228146	318977143
15	वल्लभ भवन	(-)767967880	2080802913

16	विन्ध्याचल भवन	3961197320	7413411357
17	देवास	56069658	84616233
18	इंदौर सिटी	1771998187	127189907
19	छिन्दवाड़ा	1510578588	599016678
20	सीहोर	1585074205	1751373357
21	आगरमालवा	3630576141	3681133902
22	सागर	320406755	7100056431
23	बैतूल	282285178	1929952926
24	विदिशा	201985886	466477544
	योग	28356304184	44870045055

परिशिष्ट संख्या-30

(पैरा- 3.7.1-i)

दूढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	वर्ष जिसमें प्रमाण पत्र अपेक्षित रहे
1	सिंगरौली	2018-19
2	मुरैना	—“—
3	उज्जैन	—“—
4	रीवा	—“—
5	रतलाम	—“—
6	देवास	—“—
7	आगरमालवा	—“—
8	बैतूल	—“—
9	विदिशा	—“—

परिशिष्ट संख्या-31

(पैरा- 3.7.1-ii)

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में बीट चार्ट न लगाया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	सिंगरौली	6	सीहोर
2	मुरैना	7	आगरमालवा
3	मण्डला	8	बैतूल
4	रीवा	9	विदिशा
5	देवास		

परिशिष्ट संख्या-32

(पैरा- 3.7.1-iii)

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ कक्ष हेतु उपयोग में लाये गये अग्निशमन यंत्र में द्रव न भरा होना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	अवधि जिसमें द्रव रसायन भरा हुआ न पाया जाना
1	नरसिंहपुर	2018-19
2	जबलपुर जिला	--"
3	सिंगरौली	--"
4	उज्जैन	--"
5	रीवा	--"
6	रतलाम	--"
7	आगरमालवा	--"
8	विदिशा	--"

परिशिष्ट संख्या-33

(पैरा- 3.7.1-iv)

खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	नरसिंहपुर	7	राजगढ़
2	शिवपुरी	8	मुरैना
3	अलीराजपुर	9	ग्वालियर
4	खरगौन	10	देवास
5	जबलपुर जिला	11	इंदौर सिटी
6	सतना	12	बड़वानी

परिशिष्ट संख्या-34

(पैरा- 3.7.2)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों को निर्धारित समयावधि के पश्चात वापस नहीं लिया जाना

स.क.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	दमोह	184
2	नरसिंहपुर	319
3	शिवपुरी	109
4	अलीराजपुर	70
5	उमरिया	130
6	खरगौन	15
7	जबलपुर जिला	2788
8	सतना	552
9	इंदौर जिला	255
10	राजगढ़	108
11	बालाघाट	14
12	सिंगरौली	39
13	मुरैना	142
14	उज्जैन	699
15	मण्डला	122
16	रीवा	856
17	रतलाम	1076
18	मोतीमहल	06
19	ग्वालियर	33
20	भिण्ड	51
21	देवास	26
22	छिन्दवाड़ा	04
23	सीहोर	310
24	आगरमालवा	135
25	सागर	56
26	बड़वानी	140
27	बैतूल	60
28	विदिशा	239
	योग	8538

परिशिष्ट संख्या-35

(पैरा- 3.7.3)

कोषालय के दृढकक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अन्त में जांच हेतु वापस नहीं लिया जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	लंबित पैकेटों की संख्या
1	दमोह	18
2	नरसिंहपुर	19
3	शिवपुरी	29
4	अलीराजपुर	03
5	उमरिया	40
6	खरगौन	61
7	जबलपुर जिला	121
8	सतना	15
9	इंदौर जिला	57
10	राजगढ़	01
11	बालाघाट	12
12	सिंगरौली	08
13	मुरैना	15
14	उज्जैन	01
15	रतलाम	14
16	मोतीमहल	20
17	ग्वालियर	11
18	देवास	08
19	छिन्दवाड़ा	04
20	सीहोर	12
21	आगरमालवा	05
22	सागर	05
23	बड़वानी	02
24	बैतूल	08
25	विदिशा	11
	योग	500

परिशिष्ट संख्या-36
(पैरा-3.7.4)

दृढ़ कक्ष की दोहरी चाबियों का अभिरक्षण नियमानुसार न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	शिवपुरी	5	भिण्ड
2	सिंगरौली	6	देवास
3	रतलाम	7	सीहोर
4	ग्वालियर	8	विदिशा

परिशिष्ट संख्या-37
(पैरा- 3.8.1)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों के अधिक भण्डारण की राशि		
		अदालती	गैरअदालती	योग
1	दमोह	00	50185972	50185972
2	नरसिंहपुर	5100140	19033657	24133797
3	शिवपुरी	00	195677575	195677575
4	अलीराजपुर	503445	426286300	426789745
5	उमरिया	00	5107990	5107990
6	खरगौन	00	380599852	380599852
7	जबलपुर जिला	00	7991145059	7991145059
8	सतना	5093484	277345108	282438592
9	इंदौर जिला	00	8787823456	8787823456
10	राजगढ़	00	31507960	31507960
11	बालाघाट	43683646	330412760	374096406
12	सिंगरौली	10844130	175850200	186694330
13	उज्जैन	192647725	11055717194	11248364919
14	मण्डला	52929716	654851704	707781420
15	रीवा	35435106	00	35435106
16	ग्वालियर	00	12083210737	12083210737
17	धार	00	914198016	914198016
18	देवास	00	428247420	428247420
19	छिन्दवाड़ा	21884922	789806105	811691027
20	बड़वानी	00	107529430	107529430
21	बैतूल	11331340	147751983	159083323
	योग	379453654	44852288478	45231742132

परिशिष्ट संख्या-38

(पैरा- 3.8.2)

अप्रचलित मद्रांकों का सुदृढ़ कक्ष में अनावश्यक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांकों का प्रकार	अंतिम लेन देन की तिथि	राशि
1	दमोह	नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	22.07.2015	208028500
2	अलीराजपुर	नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 20000 वाले)	21.07.2015	474069500
3	उमरिया	इन्श्योरेंस पॉलिसी	18.05.2007	1800000
		नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	22.07.2015	101689500
4	खरगौन	मनोरंजन कर	14.09.2000	304164
		वाटरमार्क (व्हाईट)	—	3000
		नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	17.07.2015	641716000
5	राजगढ़	स्पेशल एडेसिव (25 पैसे वाले)	26.10.2007	9520
		वाटरमार्क	31.07.2009	10000
		इन्श्योरेंस पॉलिसी	23.12.2013	1002000
		नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	21.07.2015	135729000
6	मुरैना (अम्बाह)	मनोरंजन कर	31.03.2011	59000
	—”— (सबलगाढ़)	—”—	14.10.2003	371368
		वाटरमार्क	—	1500
	मुरैना (जौरा)	मनोरंजन कर	24.11.2009	40000
	मुरैना	हुण्डियां	17.01.2002	43453
		इन्श्योरेंस	30.01.2012	470866
		मनोरंजन कर	10.05.2011	12584
7	मण्डला	मनोरंजन कर	29.09.2009	67966
		नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 10000 वाले)	22.07.2015	54942000
8	रतलाम	नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	20.07.2015	144787000
		हुण्डी	30.10.2006	25298
		एग्रीमेंट मुद्रांक	30.10.2015	14000
9	देवास	हुण्डी	07.04.1999	251050
	—”—(खातेगांव)	रेवेन्यू टिकिट	14.09.2009	18200
	—”—(बागली)	रेवेन्यू टिकिट	16.11.2007	53760
10	छिन्दवाड़ा	नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	—	303800500
	—”— (पांडुना)	—”—	—	8122500
	—”— (सौसर)	—”—	—	7656500
	—”— (जुन्नारदेव)	—”—	—	7118000
	—”— (परासिया)	—”—	—	11679000
11	सीहोर	मनोरंजन कर	—	1293856
		इन्श्योरेंस पॉलिसी	—	2040000

		राजस्व मुद्रांक	—	823100
		नानज्यूडिशियल	—	32593000
12	आगरमालवा	वाटरमार्क (व्हाईट)	22.02.2008	2500
	—”— (सुसनेर)	—”—	17.05.2017	1500
	आगरमालवा	नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	—	148574000
	—”— (सुसनेर)	—”—	—	31715000
	—”— (नलखेड़ा)	—”—	—	38949000
13	बड़वानी	वाटरमार्क (व्हाईट)	23.05.2011	35500
		नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	17.07.2017	234022000
14	बैतूल	नानज्यूडिशियल (रु. 500 से 25000 वाले)	21.07.2015	246342500
15	विदिशा	मनोरंजन कर	03.10.2003	643695
		वाटरमार्क (व्हाईट)	2012	225000
		शेयर ट्रांसफर	29.09.2007	1598000
	योग			2842754380

परिशिष्ट संख्या-39

(पैरा-3.8.3-i)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम	स.क्र.	कोषा./उपकोषा. का नाम
1	नरसिंहपुर	4	सिंगरौली
2	जबलपुर जिला	5	रीवा
3	इंदौर जिला	6	विदिशा

परिशिष्ट संख्या-40

(पैरा- 3.8.3-ii)

नान ज्यूडिशियल मुद्रांकों के जारी होने की सूचना रजिस्ट्रार को न भेजने बावत्

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	निरीक्षण अवधि
1	शिवपुरी	05 / 2016 से 03 / 2018
2	खरगौन	01 / 2017 से 04 / 2018
3	जबलपुर जिला	06 / 2017 से 04 / 2018
4	राजगढ़	07 / 2017 से 06 / 2018
5	सिंगरौली	12 / 2016 से 07 / 2018
6	रतलाम	04 / 2016 से 09 / 2018
7	भिण्ड	09 / 2016 से 12 / 2018
8	देवास	11 / 2016 से 12 / 2018
9	छिन्दवाड़ा	02 / 2018 से 01 / 2019
10	बड़वानी	01 / 2017 से 02 / 2019
11	विदिशा	01 / 2017 से 02 / 2019

परिशिष्ट संख्या-41

(पैरा-3.8.4)

मुद्रांक पंजी (मैनुअल) एवं मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) के अंत शेष में अंतर

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुद्रांक पंजी (मैनुअल) अनुसार शेष	मुद्रांक पंजी (कम्प्यूटर) अनुसार शेष
1	शिवपुरी	481002275	519316500
2	ग्वालियर	14728419012	15298742177
3	छिन्दवाड़ा	1239439620	1220682320
4	बैतूल	39919189	46907832
	योग	16488780096	17085648829

परिशिष्ट संख्या-42
(पैरा-3.10.1)
पुराने अभिलेखों का विनष्टीकरण न करना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	दमोह	16	रीवा
2	शिवपुरी	17	ग्वालियर
3	अलीराजपुर	18	वल्लभ भवन
4	उमरिया	19	विन्ध्याचल भवन
5	खरगौन	20	भिण्ड
6	जबलपुर जिला	21	देवास
7	सतना	22	इंदौर सिटी
8	इंदौर जिला	23	छिन्दवाड़ा
9	जबलपुर सिटी	24	सीहोर
10	राजगढ़	25	आगरमालवा
11	बालाघाट	26	सागर
12	सिंगरौली	27	बड़वानी
13	मुरैना	28	बैतूल
14	उज्जैन	29	विदिशा
15	मण्डला		

परिशिष्ट संख्या-43
(पैरा-3.10.3)
नमूना हस्ताक्षर गार्ड फाईल के संधारण में कमियां

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	नरसिंहपुर	9	ग्वालियर
2	शिवपुरी	10	भिण्ड
3	जबलपुर जिला	11	देवास
4	सतना	12	छिन्दवाड़ा
5	बालाघाट	13	सीहोर
6	सिंगरौली	14	सागर
7	मुरैना	15	बड़वानी
8	रतलाम	16	विदिशा

परिशिष्ट संख्या-44

(पैरा-3.10.4)

मृत स्कंध पंजी का सत्यापन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय	स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय
1	दमोह	14	मण्डला
2	नरसिंहपुर	15	रीवा
3	शिवपुरी	16	रतलाम
4	अलीराजपुर	17	ग्वालियर
5	उमरिया	18	भिण्ड
6	खरगौन	19	देवास
7	जबलपुर जिला	20	छिन्दवाड़ा
8	सतना	21	सीहोर
9	राजगढ़	22	आगरमालवा
10	बालाघाट	23	सागर
11	सिंगरौली	24	बड़वानी
12	मुरैना	25	बैतूल
13	उज्जैन	26	विदिशा

परिशिष्ट संख्या-45

(पैरा-3.10.5)

सेवा पुस्तिकाओं के संधारण में कमिया

स.क्र.	कोषालय	अवकाश लेखा अपूर्ण है	अन्य
1	सतना	—	हाँ
2	मुरैना	हाँ	हाँ
3	रीवा	हाँ	हाँ
4	ग्वालियर	हाँ	हाँ
5	भिण्ड	हाँ	हाँ